भारतीय स्टाम्प अधिनियम

1899

इण्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ –

2. परिभाषायें –

अध्याय 2

स्टाम्प शुल्क

का - विलेखों पर शुल्क की देयता

3. शुल्क प्रभारित विलेख –

4. विक्रय बन्धक या व्यवस्थापन के एक सौदे में उपयोग किये गये अनेक विलेख

5. कई अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित विलेख

6. अनुसूची एक, एक-का या एक-खा के अनेक वर्णनों में आने वाले विलेख

6-का. मूल या मुख्य विलेख पर अदा न होने की दशा में नकलों, प्रतिलेखों या द्वितीय प्रतियों पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क की अदायगी

7. समुद्री बीमा की पालिसियाँ

8. 1879 के अधिनियम ग्यारह के अधीन ऋणों के लिये जारी किये गये बांड, डिबेंचर या अन्य ऋणपत्र

9. शुल्क को घटाने, माफ करने या प्रशमन करने की शक्ति

खा - स्टाम्प और उनके प्रयोग की विधि

10. शुल्क कैसे अदा हो

10-का. शुल्क की नकद अदायगी

11. चिपकाऊ स्टाम्पों का प्रयोग

11-का. विलोपित।

12. चिपकाऊ स्टाम्पों का निरस्तीकरण

13. विमुद्रित स्टाम्पों से स्टाम्पित विलेख कैसे लिखा जाये

14. एक स्टाम्प पर केवल एक विलेख हो

15. धारा 13 या 14 के विपरीत लिखे गये विलेख अस्टाम्पित माने जायें

16. शुल्क का अंकन

गा. विलेखों को स्टाम्पित करने का समय

17. भारत में निष्पादित विलेख

18. बिल या नोट से अन्य भारत के बाहर निष्पादित विलेख -

19. भारत के बाहर आहरित बिल और नोट्स

19-का. धारा 3 के खन्ड (ख-ख) के अधीन कुछ विलेखों पर उत्तर प्रदेश में देय बढ़े हुये शुल्क की अदायगी

घा. शुल्क के लिए मूल्यांकन

20. विदेशी मुद्राओं में व्यक्त राशि का परिवर्तन

21. स्टाक व विक्रेय ऋण पत्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाये

22. विनिमय दर या औसत कीमत व्यक्त किये जाने का प्रभाव

23. ब्याज आरक्षित करने वाले विलेख

23-का. विक्रेय ऋण-पत्रों के बन्धक से सम्बन्धित कुछ विलेखों पर इकरारनामे के समान शुल्क प्रभार्य होगा

24. देनदारी के उपलक्ष्य में या भविष्यत् अदायगी से प्रतिबन्धित अन्तरण आदि पर शुल्क कैसे प्रभारित हो

25. वार्षिकी आदि के मामले में मूल्यांकन

26. जब विषय-वस्तु का मूल्य अनिश्चित हो तो स्टाम्प

27. शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्य विलेख में व्यक्त हों

28. कुछ हस्तान्तरणों के मामले में शुल्क सम्बन्धी निर्देश

ङ - शुल्क, किसके द्वारा देय

29. शुल्क, किसके द्वारा देय

30. कुछ मामलों में रसीद देने का दायित्व

अध्याय 3

स्टाम्प का अधिनिर्णयन

31. उचित स्टाम्प का अधिनिर्णयन

32. कलेक्टर का प्रमाणन

अध्याय 4

यथाविधि स्टाम्पित न किये गये विलेख

33. विलेखों का परीक्षण और जब्ती -

34. अस्टाम्पित रसीदों के बारे में विशेष प्रावधान

35. यथाविधि स्टाम्पित न किये गये विलेख साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं, इत्यादि

36. विलेख के स्वीकारण पर कब आपत्ति नहीं उठाई जायेगी

37. अनुचित रूप से स्टाम्पित विलेखों का स्वीकार किया जाना

38. जब्त किये गये विलेखों पर कार्रवाई कैसे की जाये

39. धारा 1998 के अधिनियम 22 द्वारा विलोपित जो 1-9-1998 से प्रभावी है।

40. जब्त किये गये विलेखों को स्टाम्पित करने की कलेक्टर की शक्ति

41. संयोग से विधि-विपरीत स्टाम्पित विलेख

42. धारा 35, 40, 41 या 47-का के अधीन जिन विलेखों पर शुल्क अदा हुआ हो उनका पृष्ठांकन

43. स्टाम्प-विधि के विरुद्ध अपराध के लिये अभियोजन

44. कुछ मामलों में शुल्क या दण्ड अदा करने वाला व्यक्ति उसे वसूल कर ले

45. कुछ मामलों में दण्ड या अधिक शुल्क वापस करने का राजस्व अधिकरण को अधिकार

46. धारा 38 के अधीन भेजे गये विलेखों की हानि के लिये दायित्व नहीं

47. अस्टाम्पित दशा में प्राप्त बिल आफ एक्सचेंज और प्रोमेसरी नोटों को स्टाम्पित करने का अदा करने वाले का अधिकार

47-का. लिखत का अवमूल्यन -

48. शुल्कों और दण्डो की वसूली

48-का. जिन विलेखों पर उत्तर प्रदेश में उच्चतर दर से शुल्क देय है उन पर प्रमाणक या पृष्ठांकन की वैधता

अध्याय 5

कुछ दशाओं में स्टाम्पों के लिये छूट

49. बिगड़े स्टाम्पों के लिये छूट

50. धारा 49 के अधीन अनुतोष के लिये आवेदन कब किया जाये

51. छपे प्रारूपों के मामले में, जिनकी निगमों को आवश्यकता न हो, छूट

52. दुरुपयोग हुये स्टाम्पों की छूट

53. बिगड़े या दरुपयोग हुये स्टाम्पों के लिये, छूट कैसे दी जाये

54. ऐसे स्टाम्पों के लिए छूट- जिनके उपयोग की आवश्यकता न हो

54-का. ‘आना’ वर्ग के स्टाम्पों के लिये छूट

54-खा. ‘रिफ्यूजी रिलीफ’ स्टाम्पों के लिए छूट

55. कुछ डिबेंचरों के नवीकरण पर छूट

अध्याय 6

संदर्भ एवं पुनरीक्षण

56. मुख्य नियंत्रक, राजस्व अधिकरण का नियंत्रण और मामलों का उसको संदर्भण

57. मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय को मामला भेजा जाना

58. भेजे गये मामलों में अतिरिक्त विवरण माँगने का उच्च न्यायालय का अधिकार

59. भेजे गये मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया

60. अन्य न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालय को मामले भेजना

61. स्टाम्प की पर्याप्तता के विषय में न्यायालयों के कुछ निर्णयों का पुनरीक्षण

अध्याय 7

दाण्डिक अपराध एवं प्रक्रिया

62. यथाविधि स्टाम्पित न हुये विलेख के निष्पादन आदि के लिये दण्ड

63. चिपकाऊ स्टाम्पों को निरस्त करने में चूक के लिये दण्ड

64. धारा 27 के प्रावधानों के अनुपालन में चूक के लिये दण्ड

64-का. विलोपित।

64-खा. कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली

65. रसीद देने से इन्कार करने और रसीद पर शुल्क टालने की युक्तियों के लिये दण्ड

66. बीमा पालिसी न बनाने या ऐसी पालिसी, जो यथाविधि स्टाम्पित न हो, बनाने के लिये दण्ड

67. जिन बिलों या समुद्री पालिसियों का सेटों में जारी होना अभिप्रेत है उनकी पूर्ण संख्या जारी न करने के लिये दण्ड

68. बिलों पर अग्रगामी तारीख डालने या राजस्व को धोखा देने की अन्य युक्तियों के लिये दण्ड

69. स्टाम्पों की बिक्री से सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन या अनाधिकृत बिक्री के लिये दण्ड

70. अभियोग दायर करना और उसका संचालन

71. मजिस्ट्रेटों का अधिकार क्षेत्र

72. विचारण का स्थान

अध्याय 8

अनुपूरक प्रावधान

73. बहिएँ आदि निरीक्षण के लिये उपलब्ध हों

73-का. किसी अधिकारी को किसी स्थान में प्रवेश करने और कुछ प्रकार के लेखपत्रों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करने की कलेक्टर की शक्ति

74. स्टाम्पों की बिक्री के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति

75. इस अधिनियम के सामान्य कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने की शक्ति

76. नियमों का प्रकाशन

76-का. कुछ अधिकारों का प्रतिनिधायन

77. कोर्टफीस के लिये छूट

77-का. कुछ स्टाम्पों के लिये व्यावृत्तियाँ

78. [1998 के अधिनियम 22 द्वारा हटा दी गई।]

79. [1914 के अधिनियम दस से विलोपित।]

इण्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899

(1899 **का दूसरा अधिनियम**)

[उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति में यथासंशोधित]

स्टाम्पों से सम्बन्धित विधि को संहत और संशोधित करने के लिये बनाया गया अधिनियम।

चूंकि स्टाम्प सम्बन्धी विधि को संहत तथा संशोधित करना आवश्यक है; अतएव

एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियमीकरण किया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ -

(1) यह अधिनियम इन्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899 कहा जावे।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत में है।

परन्तु जिस सीमा तक इस अधिनियम के प्रावधानों का सम्बन्ध संविधान की अनुसूची सात की प्रथम सूची की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट लेख-पत्रों के लिये स्टाम्प शुल्क की दरों से है, उसके सिवाय, यह अधिनियम उन क्षेत्रों पर लागू न होगा जो 1 नवम्बर, 1956 के तुरन्त पहले (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) पार्ट बी राज्य थे।

(3) यह 1 जुलाई, 1899 को लागू होगा।

2. परिभाषायें -

यदि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो तो, इस अधिनियम में-

(1) **'बैंकर'** – 'बैंकर' में बैंक या बैंकर का काम करने वाला कोई व्यक्ति शामिल है।

(2) **'बिल ऑफ एक्सचेंज'** - बिल आफॅ एक्सचेंज का अर्थ निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट्स अधिनियम, 1881 में यथा-परिभाषित 'बिल ऑफ एक्सचेंज' है और उसमें हुन्डी और अन्य कोई ऐसा लेख-पत्र भी शामिल है,

जिससे कोई व्यक्ति चाहे उसमें नामित हो या नहीं, किसी अन्य व्यक्ति से, किसी धनराशि की अदायगी पाने या किसी अन्य व्यक्ति से धन आहरण करने के लिये अधिकृत किया गया हो या ऐसा अधिकार देना अभिप्रेत हो।

(3) **'इन्दुलतलब देय बिल आफ एक्सचेंज'** - 'इन्दुलतलब देय बिल आफ एक्सचेंज' में शामिल हैं –

(क) बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट द्वारा किसी धनराशि की अदायगी का या किसी धनराशि की चुकती के लिये, बिल आफ एस्सचेंज या प्रोमेसरी नोट देने का या किसी विशेष निधि में से जो उपलब्ध हो या नहीं या किसी शर्त पर या आकस्मिकताओं में, जो पूरी या घटित हो या नहीं, कोई अदायगी का आदेश;

(ख) साप्ताहिक, मासिक या किसी निश्चित अवधि पर धन की अदायगी का आदेश;

(ग) लेटर आफ क्रेडिट अर्थात ऐसा विलेख जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को अधिकार दे कि वह उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह लिखा गया है, उधार दे।

(4) **'बिल आफ लेडिंग'** - 'बिल आफ लेडिंग' में 'थ्रू बिल आफ लेडिंग' शामिल हैं, परन्तु मेट द्वारा दी गई रसीद शामिल नहीं है।

(5) **"बांड"** - बांड में शामिल हैं-

(क) कोई विलेख जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे को धन अदा करने के लिये इस शर्त पर आबद्ध करे कि किसी निश्चित कार्य के पूरा किये जाने या न किये जाने, जैसी भी स्थिति हो, पर बन्धन निष्प्रभावी हो जायेगा;

(ख) एक साक्षी द्वारा साक्षांकित कोई विलेख जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे को धन अदा करने के लिये आबद्ध करे, जो उसके आदेश पर, या वाहक को देय न हो;

(ग) उक्त प्रकार से साक्षांकित कोई विलेख, जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे को अन्न या अन्य कृषि उपज देने के लिये आबद्ध करे।

(6) **'प्रभार्य'** – इस अधिनियम के लागू होने के बाद निष्पादित या सर्वप्रथम निष्पादित विलेख के लिये प्रयोग किये जाने की दशा में 'प्रभार्य' का अर्थ इस अधिनियम के अधीन 'प्रभार्य' है और अन्य किसी विलेख के लिये प्रयोग किये जाने की दशा में उस विधि के अधीन 'प्रभार्य' है, जो विलेख के निष्पादन के समय, या जब विलेख अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर निष्पादित किया गया हो, तो प्रथम निष्पादन के समय भारत में लागू हो।

(7) **'चेक'** – चेक का अर्थ किसी सुनिश्चित बैंकर पर बिल आफ एक्सचेंज से है, जिसमें इन्दुलतलब से अन्यथा अदायगी किया जाना अभिव्यक्त न हो।

(8) **(विलोपित)।**

(9) **'कलेक्टर'** – 'कलेक्टर' -

(क) का अर्थ कलकता, मद्रास और बम्बई नगरों की सीमओं के अन्दर क्रमश: कलकता, मद्रास और बम्बई का कलेक्टर है, और उन सीमाओं के बाहर जिले का कलेक्टर है; और

(ख) में डिप्टी कमिश्नर और ऐसा कोई अधिकारी शामिल है जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इसके लिये नियुक्त करे।

(10) 'हस्तान्तरण' – 'हस्तान्तरण' में विक्रय द्वारा हस्तान्तरण और प्रत्येक वह विलेख शामिल है, जिससे जीवित व्यक्तियों के बीच सम्पत्ति चाहे वह चल हो या अचल का अन्तरण हो और अनुसूची एक, अनुसूची एक-का या एक-खा, में उसका अन्यथा कोई निश्चित प्राविधान न हो।

स्पष्टीकरण – कोई ऐसा विलेख, जिससे किसी सम्पति का सह-स्वामी, जिसका भाग उसमें सुनिश्चित हो, उस भाग या उसके किसी अंश को, उस सम्पत्ति के अन्य सह-स्वामी, को अन्तरित करे, इस खण्ड के प्रयोजन को लिये, ऐसा विलेख है जिससे सम्पत्ति का अन्तरण होता है।

(11) **'यथाविधि स्टाम्पित'** – किसी विलेख के लिये प्रयोग किये जाने पर का 'यथाविधि स्टाम्पित' का अर्थ है कि विलेख पर चिपकाऊ या विमुद्रित स्टाम्प लगा है जो उचित राशि से कम नहीं है और वह स्टाम्प उस समय भारत में प्रचलित विधि के अनुसार लगाया या प्रयोग किया गया है।

(12) **'निष्पादित' और 'निष्पादन'** – विलेखों के संदर्भ में प्रयुक्त होने पर 'निष्पादित' और 'निष्पादन' से क्रमशः अर्थ 'हस्ताक्षरित' और 'हस्ताक्षर' है।

(12-क) इण्डियन एडेप्टेशन लाज आर्डर, 1950 द्वारा विलोपित।

(13) **'विमुद्रित स्टाम्प'** – 'विमुद्रित स्टाम्प' में शामिल है-

(क) सक्षम अधिकारी द्वारा चिपकाई गई और विमुद्रित चिप्पियां; और

(ख) स्टाम्पित कागज पर उत्कीर्ण या उभारा गया स्टाम्प।

(13-क) **'भारत'** - 'भारत' से तात्पर्य जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत का क्षेत्र हैं।

(14) **'लिखत'** – 'लिखत' के अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रानिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस या मीडिया में या उसके द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अन्तरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है;"

(14-क) **'दान की लिखत'** - 'दान की लिखत' के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिए कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो,"

(15) **'विभाजन का विलेख'** – 'विभाजन का विलेख' का अर्थ उस विलेख से है जिससे किसी सम्पत्ति के सह-स्वामी उस सम्पत्ति को अलग-अलग भागों में विभाजित करे या विभाजित करने का इकरार करे, और उसमें शामिल हैं –

(क) किसी राजस्व अधिकरण या दीवानी न्यायालय द्वारा पारित विभाजन किये जाने का अन्तिम आदेश;

(ख) पंच द्वारा दिया गया पंच-फैसला जिसमें विभाजन निर्देशित किया गया हो; और

(ग) जब उक्त प्रकार का कोई विलेख निष्पादित किये बिना विभाजन किया गया हो, तो सह-सवामियों द्वारा हस्ताक्षरित एक या अधिक विलेख जिनमें सह- स्वामियों के बीच किये गये ऐसे विभाजन का विवरण लेखबद्ध किया गया हो, चाहे वह उस विभाजन की घोषणा के रूप में हो या अन्यथा।

(16) 'लीज' – 'लीज' का अर्थ अचल संपत्ति की लीज से है, और उसमें शामिल हैं –

(क) पट्टा;

(ख) कबूलियत या अचल सम्पत्ति पर कृषि करने, कब्जा करने या उसका किराया अदा करने या देने की लिखित प्रतिज्ञा जो लीज का प्रतिलेख न हो;

(ग) कोई विलेख जिससे किसी प्रकार की चुंगी पट्टे पर दी जाए;

(घ) लीज के आवेदन पत्र पर कोई लेख जिसका यह व्यक्त करने का अभिप्राय हो कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है;

(ड.) कोई विलेख जिससे माइन्स एन्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एन्ड डेवलपमेन्ट) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खन्ड (ई) में यथा परिभाषित लघु खनिज के सम्बन्ध में खनन लीज दी जावे।

(16-का) 'विक्रेय प्रतिभूति' – 'विक्रेय प्रतिभूति' का अर्थ उस प्रकार की प्रतिभूतियाँ हैं जो भारत या यूनाइटेड किंगडम के किसी स्टाक बाजार में बेची जा सकें।

(17) **'बन्धक-पत्र'** – 'बन्धक-पत्र' में प्रत्येक वह विलेख शामिल है जिससे ऋण के रूप में दिये गये, या दिये जाने वाले धन, या किसी वर्तमान या भविष्य की देनदारी की अदायगी, या किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने की

जमानत के लिए कोई व्यक्ति किसी निश्चित सम्पत्ति को या उससे सम्बन्धित अधिकार को, दूसरे किसी अन्य को अन्तरित करे, या उस पर, उसका अधिकार सृजित करे।

(18) **'कागज'** – 'कागज' में बेलम, चर्म पत्र या अन्य कोई पदार्थ शामिल है जिस पर विलेख लिखा जा सके;

(19) **'बीमा पालिसी'** – 'बीमा पालिसी' में शामिल है –

(क) कोई विलेख जिससे कोई व्यक्ति नजराने के उपलक्ष्य में दूसरे व्यक्ति को किसी अज्ञात या आकस्मिक घटना से उत्पन्न होने वाली हानि, क्षति या दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिये वचनबद्ध हो;

(ख) जीवन पालिसी या और किसी व्यक्ति की दुर्घटना या रोग के विरुद्ध बीमा की पालिसी या अन्य कोई व्यक्तिगत बीमा।

(19-क) **'सामूहिक बीमा पालिसी'** – 'सामूहिक बीमा पालिसी' का अर्थ उस विलेख से है जिससे बीमाकार किसी नियोक्ता द्वारा, या नियोक्ता और उसके कर्मचारियों द्वारा सम्मिलित रूप से, अदा किये गये नजराने के उपलक्ष्य में डाक्टरी परीक्षण कराकर या बिना कराये, नियोक्ता से अन्यथा व्यक्तियों मात्र के लाभार्थ, सब कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के सदस्यों के जीवन की हानिरक्षा, उनके रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, किसी योजनाबद्ध रूप से, जिसमें व्यक्तिगत चयन न हो सके, बीमे की राशियों से करने के लिये प्रतिबद्ध होता हो, जो पचास या केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेष मामले में उससे कम निर्धारित, संख्या से कम, लोगों पर लागू न हो।

(20) **'समुद्री बीमा पालिसी या समुद्री पालिसी'** –

(क) का अर्थ है किसी जहाज या नौका (चाहे समुद्र में चलता हो या देशगत जल मार्ग पर) का, या जहाज या नौका की मशीन, काँटा, फर्नीचर का, या जहाज या नौका पर लदा माल का, या अन्य सम्पत्ति का, या जहाज या नौका के भाड़े का, या जहाज या नौका में या उससे सम्बन्धित अन्य किसी हित का बीमा, जिसका विधिक रूप से बीमा जा सकता हो; और

(ख) में शामिल है, ढुलाई के लिये दिये गये माल, व्यापारिक वस्तुएँ या सम्पत्ति का बीमा, जिसमें न केवल खण्ड (क) में वर्णित समुद्री जोखिम शामिल है, बल्कि यात्रा के आरम्भ से गन्तव्य तक पहुँचने तक के समस्त जोखिम भी शामिल हैं जो उस बीमे के अन्दर आते हैं;

जब कोई व्यक्ति भाड़े या अन्य रूप में दिये गये या दिये जाने वाले अतिरिक्त धन के उपलक्ष्य में जहाज या नौका पर के किसी माल, व्यापारिक वस्तुओं या अन्य सम्पत्ति को होने वाले किसी जोखिम को अपने ऊपर लेने को

सहमत हो, या ऐसे माल, व्यापारिक वस्तुओं या अन्य सम्पत्ति को होने वाले जोखिम, क्षति या हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये बचनबद्ध हो तो ऐसा इकरार या अनुबन्ध समुद्री बीमे का इकरार समझा जावेगा।

(21) **'मुख्तारनामा'** – 'मुख्तारनामा' में ऐसा कोई विलेख (जिस पर कोर्टफीस से सम्बन्धित तत्समय लागू विधि के अधीन कोर्टफीस प्रभार्य न हो) शामिल है, जिससे किसी सुनिश्चित व्यक्ति को विलेख के निष्पादनकर्ता की ओर से, या उसके नाम से, कार्य करने का अधिकार दिया जाय।

(22) **'प्रोमेसरी नोट'** – 'प्रोमेसरी नोट' का अर्थ है वह प्रोमेसरी नोट जैसा वह निगोशियेबिल इन्स्ट्रमेन्ट्स अधिनियम, 1881 में परिभाषित है, इसमें ऐसा नोट भी शामिल है जिससे किसी विशेष निधि में से, जो उपलब्ध हो या नहीं और किसी शर्त पर या आकस्मिकता में, जो पूरी या घटित हो, या नहीं धन अदा करने की प्रतिज्ञा की जावे।

(22-क) **'लोक आफिसर'** – 'लोक आफिसर' से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लोक आफिसर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक आफिसर भी है; अर्थात् : –

(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय या प्राधिकरण;

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित कोई 'वित्त पोषक बैंक' या 'केन्द्रीय बैंक' ;

(23) **'रसीद'** – 'रसीद' में कोई ऐसा नोट, ज्ञापन या लेख शामिल हैं –

(क) जिससे किसी धन या बिल आफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमेसरी नोट की प्राप्ति स्वीकार की गई हो, या

(ख) जिससे ऋण की चुकती में दी गई अन्य चल सम्पत्ति की प्राप्ति स्वीकार की गई हो; या

(ग) जिससे किसी ऋण या माँग या उस ऋण या माँग के किसी भाग की चुकती, या मोचन होना स्वीकार किया गया हो; या

(घ) जिससे उक्त प्रकार की कोई स्वीकृति व्यक्त या प्रकट होती हो, और चाहे उस पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों या नहीं।

(24) **'व्यवस्थापन'** – 'व्यवस्थापन' का अर्थ चल या अचल सम्पत्ति का मृत्यु पूर्व प्रभावी व्ययन है जो –

(क) विवाह के उपलक्ष्य में किया जाये;

(ख) व्यवस्थापक के परिवार या जिनके निर्वाह की वह व्यवस्था करना चाहे, में संपत्ति वितरण करने, या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के निर्वाह की व्यवस्था करने के प्रयोजन से, किया जावे; या

(ग) किसी धार्मिक या दातव्य प्रयोजन में किया जावे। और उसमें ऐसा व्ययन करने का लिखित इकरार शामिल है; और जहाँ इस प्रकार का व्ययन लिखित रूप में न किया गया हो, तो वह विलेख भी शामिल है जिसमें न्यास की घोषणा या अन्य किसी रूप में, इस प्रकार व्ययन का विवरण लेखबद्ध किया गया हो।

(25) **'सैनिक'** में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है जो इण्डियन आर्मी अधिनियम, 1911 के अधीन भर्ती हुआ नॉन कमीशन अफसर से नीचे पद पर हो।

(26) इन्डियन स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1955 से विलोपित हुआ।

(26-का) 'कामन रोल' और 'स्टेट रोल' का तात्पर्य वही होगा जो एडवोकेट अधिनियम, 1961 में उनको दिया गया है।

अध्याय 2

स्टाम्प शुल्क

का - विलेखों पर शुल्क की देयता

3. शुल्क प्रभारित विलेख -

इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची एक में वर्णित मुक्तियों के प्रभावाधीन, निम्नलिखित विलेखों पर शुल्क की वह राशि प्रभार्य होगी, जो उस अनुसूची में क्रमशः निर्धारित उचित शुल्क है, अर्थात् –

(क) उस अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक विलेख, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित न होने पर प्रथम जुलाई, 1899 को, या उसके बाद भारत में निष्पादित किया जाये;

(ख) इन्दुलतलब से अन्यथा देय प्रत्येक बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट, जो भारत के बाहर उक्त दिन या उसके बाद आहरित किया, या बनाया गया हो और भारत में सकारा, या अदा किया जाये, या सकारने या अदायगी के लिये प्रस्तुत किया जाये या पृष्ठांकित, अन्तरित या अन्य प्रकार संक्रमित किया जाये;

(ग) उस अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक बिलेख (बिल आफ एक्सचेंज, या प्रोमेसरी नोट से अन्यथा), जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले निष्पादित न होने पर, उस दिन या उसके बाद भारत के बाहर निष्पादित किया जाये, भारत में स्थित किसी सम्पत्ति से, या भारत में किये गये, या किये जाने वाले किसी मामले या वस्तु से सम्बन्धित हो और भारत में प्राप्त हो;

परन्तु इस अधिनियम में अन्यथा दिये गये सुस्पष्ट प्रावधानों को छोड़कर, और इस धारा के खण्ड के खण्ड (क), (ख) और (ग), या अनुसूची एक या एक-का में कुछ भी होने के बावजूद, अनुसूची एक-का या एक-खा में दी गई

मुक्तियों के प्रभावाधीन, निम्नलिखित विलेखों पर शुल्क की वह राशि प्रभार्य होगी जो अनुसूची एक-का या एक-खा में उनके लिए क्रमशः निर्धारित उचित शुल्क हैं, अर्थात;

(क-क) अनुसूची एक-का, एक-खा उल्लिखित, किसी व्यक्ति द्वारा पहले निष्पादित न हुआ कोई विलेख जो –

(i) अनुसूची एक-का में उल्लिखित विलेख के मामले में उस तारीख को, जब उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम 1948, लागू हुआ हो या, उसके बाद, और

(ii) अनुसूची एक-खा में उल्लिखित विलेखों के मामले में – उस तारीख को जब उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1952, लागू हो, या उसके बाद;

उत्तर प्रदेश में निष्पादित किया जाये;

(ख-ख) अनुसूची एक-का या एक-खा में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा पहले निष्पादित न हुआ प्रत्येक विलेख जो –

(i) अनुसूची एक-का में उल्लिखित विलेखों के मामले में उस तारीख को, जब उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम 1948, लागू हुआ हो या, उसके बाद, और

(ii) अनुसूची एक-खा में उल्लिखित विलेखों के मामले में उस तारीख को जब उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1952, लागू हो, या उसके बाद;

उत्तर प्रदेश के बाहर निष्पादित किया जाये; और उत्तर प्रदेश में स्थित किसी, सम्पत्ति से या उत्तर प्रदेश में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या वस्तु से सम्बन्धित हो, और उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो;

परन्तु यह भी कि –

(i) सरकार द्वारा, या उसकी तरफ से, या उसके पक्ष में निष्पादित किसी विलेख पर, जहाँ इस मुक्ति के अभाव में, उस विलेख पर प्रभार्‌य शुल्क अदा करने का दायित्व सरकार का होता; कोई शल्क प्रभार्य नहीं होगा।

(ii) बाद में यथासंशोधित मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1894, या 1838 के अधिनियम उन्नीस नया इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स अधिनियम, 1841 (1841 का दसवाँ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जहाज, या नौका, या उसके किसी भाग, किसी स्वत्व अंश या स्वामित्व के विक्रय, अन्तरण या अन्य किसी प्रकार के विन्यास, चाहे वह कतई हो, या बन्धक के रूप में, से सम्बन्धित विलेख पर, कोई शुल्क प्रभार्य न होगा।

स्पष्टीकरण – जब अनुसूची एक-खा में निर्धारित शुल्क की राशि में रुपये का कोई ऐसा भाग हो जो 25 पैसे से कम हो या 25 पैसा से अधिक किन्तु 50 पैसे से कम हो, या 50 पैसे से अधिक किन्तु 75 पैसे से कम हो, या 75 पैसे

से अधिक किन्तु एक रुपया से कम हो, तो उचित शुल्क, उस राशि को, जैसा उस अनुसूची में अंकित है, रुपये के अगली उच्चतर चौथाई तक बढ़ा कर होगा।

3-का. विलोपित।

3-का का. विलोपित।

4. विक्रय बन्धक या व्यवस्थापन के एक सौदे में उपयोग किये गये अनेक विलेख

(1) जब किसी विक्रय, बन्धक या व्यवस्थापन के मामले में, सौदे को पूरा करने के लिये कई विलेखों का उपयोग किया गया हो, तब केवल मुख्य विलेख पर ही अनुसूची एक-खा में उस हस्तान्तरण, बन्धक या व्यवस्थापन के लिये निर्धारित शुल्क प्रभार्य होगा, और अन्य प्रत्येक विलेख पर, उस अनुसूची में उसके लिये निर्धारित शुल्क (यदि हो) के स्थान पर, 5 रुपया शुल्क प्रभार्य होगा।

(2) पक्षकार स्वयं निश्चित कर सकते हैं कि उप-धारा (1) के प्रयोजन से कौन सा विलेख मुख्य माना जायेगा :

परन्तु इस प्रकार निश्चित किये गये विलेख पर प्रभार्य शुल्क वह अधिकतम शुल्क होगा जो कथित प्रयुक्त विलेखों में से किसी पर प्रभार्य होता।

5. कई अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित विलेख

कई अलग-अलग मामलों का समावेश करने वाले, या कई अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित विलेख पर, शुल्कों की वह सम्पूर्ण राशि प्रभार्य होगी जो प्रत्येक मामले के, जो उसमें समाविष्ट है, या जिससे वह सम्बन्धित है, अलग विलेख पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होती।

6. अनुसूची एक, एक-का या एक-खा के अनेक वर्णनों में आने वाले विलेख

पूर्ववर्ती अन्तिम धारा के प्रावधानों के प्रभावाधीन, इस प्रकार विरचित विलेख जो अनुसूची एक, एक-का या एक-खा के दो या अधिक वर्णनों में आता हो यदि विभिन्न वर्णनों के लिये प्रभार्य शुल्क असमान हो तो, उनमें से केवल अधिकतम शुल्क प्रभार्य होगा।

परन्तु इस अधिनियम की कोई बात किसी विलेख, जिस पर शुल्क प्रभार्य हो और जिसके लिए उचित शुल्क अदा किया गया हो, के प्रतिलेख या द्वितीय प्रति पर पांच रुपया पचास पैसा से अधिक शुल्क प्रभार्य नहीं करेगी, जब तक की वह धारा ६ - का के प्रावधानों में न पड़ता हो।

6-का. मूल या मुख्य विलेख पर अदा न होने की दशा में नकलों, प्रतिलेखों या द्वितीय प्रतियों पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क की अदायगी

(1) धारा 4 या 6 या अन्य किसी विधि में कुछ भी होने के बावजूद जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाये कि उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति में यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रभारणीय शुल्क –

(क) मुख्य या मूल विलेख पर, जैसी भी स्थिति हो; या

(ख) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार;

अदा कर दिया गया है, तो विक्रय, बन्धक या व्यवस्थापन के सौदे को पूरा करने के लिये प्रयुक्त, मुख्य विलेख से अन्य कई विलेखों में से किसी एक पर, या किसी विलेख के प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या नकल पर, यदि मुख्य या मूल विलेख, उत्तर प्रदेश में प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति में यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन उच्चतर दर पर शुल्क से प्रभारित होता, तो वही शुल्क प्रभार्य होगा जो मूल या मुख्य विलेख पर धारा 19-क के अधीन प्रभार्य होता।

(1-का) जब कोई विलेख उत्तर प्रदेश से अन्यथा, भारत के किसी भाग में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो और विलेख उत्तर प्रदेश में स्थित किसी सम्पत्ति से पूर्णत: या अंशत: सम्बन्धित हो, तो ऐसे विलेख की नकल उत्तर प्रदेश में प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के प्रतिफल या मूल्य के अनुसार और उसके अनुपात में, मूल के समान धारा 19-क के अधीन शुल्क का अन्तर वसूल किया जा सकता है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नोटिस पाने पर, वह व्यक्ति जिसका दायित्व मूल विलेख पर स्टाम्प शुल्क अदा करने का था, उस अन्तर को निर्धारित समय के अन्दर अदा करेगा।

(2) किसी विधि से कुछ भी होने के बावजूद कोई विलेख, प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या नकल जिस पर इस धारा के अधीन शुल्क प्रभार्य हो, तब तक उचित रूप से स्टाम्पित मानकर साक्ष्य में ग्राह्य न होगा जब तक उस पर इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क अदा न कर दिया गया हो।

परन्तु जिस न्यायालय के समक्ष ऐसा विलेख, प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या नकल प्रस्तुत हो वह अपने विवेकानुसार उस पर प्रभार्य शुल्क अदा करने की अनुमति दे दें और तब उसे साक्ष्य में ग्रहण करें।

7. समुद्री बीमा की पालिसियाँ

(1) विलोपित।

(2) विलोपित।

(3) विलोपित।

(4) जब कोई समुद्री बीमा किसी यात्रा के लिये, या यात्रा के साथ-साथ समयावधि के लिए भी किया जाये, या जहाज के गंतव्य बन्दरगाह पर पहुंचने और वहां लंगर डालने के तीस दिन की अवधि के बाद के लिये समयावधि को बढ़ाने या आड़ करने के लिए किया जाये, तो उस पर एक यात्रा के लिये बनाई गई पालिसी के साथ-साथ समयावधि पालिसी का शुल्क भी प्रभारित किया जायेगा।

8. 1879 के अधिनियम ग्यारह के अधीन ऋणों के लिये जारी किये गये बांड, डिबेंचर या अन्य ऋणपत्र

(1) इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद लोकल अथारिटी लोन्स अधिनियम, 1879 (1879 का ग्यारहवाँ), या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन बांड, डिवैंचर या अन्य ऋणपत्र जारी कर ऋण लेने वाले स्थानीय अधिकरण पर उस ऋण के लिये जारी किये गये बांड, डिबेंचरों या ऋणपत्रों को कुल राशि पर एक प्रतिशत शुल्क प्रभार्य होगा और उन बांडों, डिबेंचरों या ऋणपत्रों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं है तथा उनके नवीकरण, समूहीकरण, विभाजन पर या अन्यथा कोई अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य न होगा।

(2) कुछ बांडो, डिबेंचरों या ऋणपत्रों के स्टाम्पित किये जाने और उन पर अतिरिक्त शुल्क की प्रभार्यता से मुक्ति सम्बन्धित उपधारा (1) के प्रावधान उसमें उल्लिखित प्रकार के पुराने बकाया ऋणों से सम्बन्धित बांडों, डिबेंचर या ऋणपत्रों पर भी लागू होंगे, और ऐसे सब बांड, डिबेंचर या ऋणपत्र चाहे स्टाम्पित हों या नहीं वैध होंगे;

परन्तु यहाँ पर कहा गया कुछ भी, 1897 की छब्बीसवीं मार्च से पहिले जारी किये गये बांड, डिबेंचर या अन्य ऋणपत्रों पर प्रभार्य शुल्क से, यदि वह पहले अदा न किया गया हो, या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश से माफ न किया गया हो, स्थानीय अधिकरण को मुक्त नहीं करेगा।

(3) इस धारा में निर्दिष्ट शुल्क अदा करने में जानबूझ कर उपेक्षा होने की दशा में, उपेक्षा होने वाले माह के बाद से, जब तक उपेक्षा होती रहे प्रभार्य शुल्क के दस प्रतिशत के बराबर राशि तथा उतना ही दण्ड प्रतिमाह, स्थानीय अधिकरण से जब्ती के रूप में सरकार को प्राप्त होगा।

9. शुल्क को घटाने, माफ करने या प्रशमन करने की शक्ति

(1) सरकारी गजट में प्रकाशित नियम या आदेश से, सरकार

(क) अपने प्रशासनाधीन सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में किन्ही विलेखों या किसी विशेष वर्ग के विलेखों, या उस वर्ग में आने वाले किन्हीं विलेखों, या ऐसे विलेखों को जो किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा, या उनके पक्ष में या ऐसे वर्ग के किन्हीं सदस्यों द्वारा, या उनके पक्ष में निष्पादित किये गये हों, पर प्रभार्य शुल्क को पूर्वगामी या अनुगामी प्रभाव से घटा या माफ कर सकती है; और

(ख)   किसी निगमित कम्पनी, या अन्य निगमित संस्था द्वारा बांड, डिबेंचर या अन्य विक्रेय ऋणपत्र जारी किये जाने की या अन्तरित किये जाने की दशा में (जहाँ अन्तरिती एकल हो, चाहे वह निगमित हो या नहीं) शुल्क के समझौते या समेकन का प्रावधान कर सकती है।

(2)   **इस धारा में 'सरकार' शब्द का अर्थ है** –

(क)   बिल आफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमेसरी नोट, बिल आफ लेडिंग, लेटर आफ क्रेडिट, बीमा-पालिसियों, शेयरों का अन्तरण, डिबेंचर, प्राक्सी तथा रसीदों पर स्टाम्प शुल्क के, और इस अधिनियम के अधीन किसी स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में, जो संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची एक की प्रविष्टि 96 के अन्तर्गत आता हो – केन्द्रीय सरकार;

(ख) उपरोक्त से अन्यथा – राज्य सरकार।.

खा - स्टाम्प और उनके प्रयोग की विधि

10. शुल्क कैसे अदा हो

(1) इस अधिनियम में किये गये अन्य सुस्पष्ट प्रावधानों के सिवाय, सारा शुल्क, जो किसी विलेख पर प्रभार्य हैं, अदा किया जायेगा, और वह अदायगी उस विलेख पर स्टाम्पों द्वारा –

(क)   इसमें किये गये प्रावधानों के अनुसार; या

(ख)   यदि वह कोई प्रावधान उस पर लागू न हो, तो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार इंगित किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम, अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित का भी नियमन कर सकते हैं: –

(क)   प्रत्येक प्रकार के विलेख के मामले में – उन स्टाम्पों का विवरण जो उसके लिये उपयोग किये जा सकते हैं;

(ख)   विमुद्रित स्टाम्पों से स्टाम्पित विलेखों के मामले में – स्टाम्पों की संख्या जो प्रयोग किये जा सकते हैं;

(ग)   बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोटों के मामले में – उस कागज का आकार जिस पर ये लिखे जायें।

10-का. शुल्क की नकद अदायगी

(1) धारा 10 में कुछ भी होने के बावजूद –

(क) यदि कलेक्टर सन्तुष्ट हो जाये कि जिले के स्टाम्पों का अस्थायी अभाव है, या कि वांछित मूल्यों के स्टाम्प उपलब्ध नहीं हैं, तो वह शुल्क की नकद अदायगी की अनुज्ञा दे सकता है और कोषागार के प्रभारी अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि सरकारी कोषागार या उप-कोषागार में शुल्क की अदायगी के प्रमाण में चालान प्रस्तुत किये जाने पर, वह विलेख या विलेखों पर नकद अदा किये शुल्क की राशि को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करे;

(ख) जब राज्य सरकार ऐसा करना उचित समझे तो वह किसी जिले में शुल्क के नकद अदा किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है और किसी अधिकारी को वह शुल्क नकद प्राप्त करने और फ्रैंकिंग मशीन से विलेख या विलेखों पर उस नकद अदा किये गये शुल्क की राशि को पृष्ठांकित कर प्रमाणित करने के लिये अधिकृत कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विलेख पर किये गये पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा जैसे कि पृष्ठांकन में अंकित राशि उसके सम्बन्ध में अदा की गई है और धारा 10 की अपेक्षाओं के अनुसार विलेख पर स्टाम्पों द्वारा इंगित की गई है।

11. चिपकाऊ स्टाम्पों का प्रयोग

निम्नलिखित विलेखों को चिपकाऊ स्टाम्पों से स्टाम्पित किया जा सकता है, अर्थात् –

(क) सेट्स में आहरित और इन्दुलतलब से अन्यथा अदायगी वाले बिल आफ एक्सचेंज के भागों के सिवाय, वे विलेख जिन पर 20 पैसा से अनधिक शुल्क प्रभार्य है;

(ख) भारत के बाहर आहरित या बनाये गये बिल आफ एक्सचेंज और प्रोमेसरी नोट;

(ग) उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल द्वारा एडवोकेट्स अधिनियम 1961, की धारा 22 के अधीन जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र और रेवन्यू एजेन्टों या मुख्तारों को दिया गया नामांकन प्रमाण-पत्र;

(घ) नोटरीय कृत्य; और

(ड.) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित संस्था के शेयरों का पृष्ठांकन द्वारा अन्तरण।

11-का. विलोपित।

12. चिपकाऊ स्टाम्पों का निरस्तीकरण

(1) (क) किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किसी विलेख, जिस पर शुल्क प्रभार्य है, पर जो कोई चिपकाऊ स्टाम्प लगाये, वह उस स्टाम्प को लगाकर ऐसे निरस्त करेगा कि उसका पुन: प्रयोग न किया जा सके, और

(ख) जो कोई चिपकाऊ स्टाम्प लगे कागज पर किसी विलेख का निष्पादन करे, वह निष्पादन के समय उस स्टाम्प को, यदि वह स्टाम्प पूर्वोक्त विधि से पहले निरस्त न किया हो, तो ऐसे निरस्त करेगा कि उसका पुन: प्रयोग न किया जा सके।

(2) वह विलेख, जिस पर ऐसा चिपकाऊ स्टाम्प लगा हो, जो ऐसे निरस्त न किया गया हो कि उसका पुन: प्रयोग न किया जा सके, जहाँ तक उस स्टाम्प का प्रश्न है अस्टाम्पित माना जायेगा,

(3) उपधारा (1) में जिस व्यक्ति द्वारा स्टाम्प का निरस्तीकरण अपेक्षित है, वह उस स्टाम्प पर या उसके आर-पार अपना नाम, या नाम के प्रथम अक्षर या अपनी फर्म का नाम या उसके प्रथम अक्षर और लिखने की सही तारीख लिखकर, या अन्य किसी प्रभावी ढंग से उसको निरस्त कर सकता है।

13. विमुद्रित स्टाम्पों से स्टाम्पित विलेख कैसे लिखा जाये

विमुद्रित स्टाम्प से स्टाम्पित कागज पर लिखा गया विलेख इस प्रकार लिखा जायेगा कि स्टाम्प, विलेख वाले पटल पर दिखाई दे और वह अन्य विलेख के लिये प्रयोग न किया जा सके, या पर लगाया न जा सके।

14. एक स्टाम्प पर केवल एक विलेख हो

स्टाम्पित कागज के किसी सीट पर, जिस पर शुल्क से प्रभार्य एक विलेख पहले लिखा गया हो, दूसरा विलेख, जिस पर शुल्क प्रभार्य हो, नहीं लिखा जायेगा।

परन्तु इस धारा की कोई बात, किसी विलेख से उत्पन्न, या प्रमाणित, होने वाले किसी स्वत्व का अन्तरण करने, या किसी धन या वस्तु, जिसकी अदायगी या देनदारी उससे सुरक्षित की गई हो, कि प्राप्ति स्वीकार करने के प्रयोजन से उस विलेख पर, ऐसा पृष्ठांकन, जो यथाविधि स्टाम्पित हो, या शुल्क से प्रभार्य न हो, करने में बाधक न होगी।

15. धारा 13 या 14 के विपरीत लिखे गये विलेख अस्टाम्पित माने जायें

धारा 13 या धारा 14 का उल्लंघन करके लिखा गया प्रत्येक विलेख अस्टाम्पित माना जाएगा।

16. शुल्क का अंकन

जब किसी विलेख पर प्रभार्य शुल्क, या उसकी शुल्क से मुक्ति, किसी अन्य विलेख पर वास्तव में अदा किये गये शुल्क पर किसी प्रकार निर्भर हो, तो कलेक्टर के समक्ष उस प्रयोजन के लिये लिखित आवेदन करने और दोनों विलेखों को प्रस्तुत किये जाने पर, उस पर अन्तिम वर्णित शुल्क की राशि कलेक्टर के हस्ताक्षरित पृष्ठांकन द्वारा या उस विधि से (यदि कोई हो), जो राज्य सरकार नियमों में निर्धारित करे, प्रथमोक्त विलेख पर अंकित कर दी जायेगी।

गा. विलेखों को स्टाम्पित करने का समय

17. भारत में निष्पादित विलेख

सब विलेख, जिन पर शुल्क प्रभार्य है और जिनको किसी व्यक्ति द्वारा भारत में निष्पादित किया गया है, निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय स्टाम्पित किये जायेंगे।

18. बिल या नोट से अन्य भारत के बाहर निष्पादित विलेख -

(1) केवल भारत के बाहर निष्पादित, शुल्क से प्रभार्य प्रत्येक विलेख, जो बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट न हो, भारत में प्रथम बार प्राप्त होने के बाद तीन माह के अन्दर स्टाम्पित किया जा सकता है।

(2) यदि ऐसा कोई विलेख, उसके लिये निर्धारित प्रकार के स्टाम्प के सन्दर्भ में, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं यथाविधि स्टाम्पित न किया जा सकता हो, तो उसे उक्त तीन माह की अवधि के अन्दर कलेक्टर के पास ले जाया जा सकता है जो उसे, उस विधि से, जो राज्य सरकार नियमों में निर्धारित करे, उतने मूल्य के स्टाम्प से स्टाम्पित करेगा जितना उस विलेख को ले जाने वाला व्यक्ति लगवाना चाहे और अदा करे।

19. भारत के बाहर आहरित बिल और नोट्स

भारत के बाहर आहरित या बनाये, इन्दुलतलब से अन्यथा देय, बिल या प्रोमेसरी नोट का भारत में प्रथम धारक उसे भारत में सकारने, या अदायगी के लिये प्रस्तुत करने, या पृष्ठांकित, अंतरित या अन्यथा संक्रमित करने से पहले, उस पर स्टाम्प चिपकायेगा और उसे निरस्त करेगा।

परन्तु –

(क) यदि, जिस समय ऐसा बिल आफ एक्सचेंज या नोट भारत में किसी धारक के हाथ में आये, उस समय उस पर उचित चिपकाऊ स्टाम्प लगा हो और धारा 12 में निर्धारित विधि से निरस्त किया गया हो, और उस व्यक्ति को ऐसा विश्वास करने का कोई कारण न हो कि वह स्टाम्प इस अधिनियम में अपेक्षित व्यक्ति द्वारा, या समय पर, से अन्यथा लगाया, या निरस्त किया गया है, तो जहाँ तक उस धारक से सम्बन्ध है; तो वह स्टाम्प यथाविधि लगाया और निरस्त किया गया माना जायेगा।

(ख) इस परन्तु की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दन्ड से बरी नहीं करेगी जो स्टाम्प लगाने या उसे निरस्त करने के लिये उसने उपगत की हो।

19-का. धारा 3 के खन्ड (ख-ख) के अधीन कुछ विलेखों पर उत्तर प्रदेश में देय बढ़े हुये शुल्क की अदायगी

जब किसी विलेख पर उत्तर प्रदेश से अन्यथा किसी राज्य के किसी भाग में इस अधिनियम, या राज्यों के किन्हीं भागों में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, शुल्क प्रभार्य हो गया हो और तत्पश्चात् धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खन्ड (ख-ख) के अधीन उस पर उत्तर प्रदेश में उच्चतर दर से शुल्क प्रभार्य हो जाये, तब –

(i) धारा 3 के प्रथम परन्तुक में कुछ भी होने के बावजूद, उस विलेख पर प्रभार्य शुल्क की राशि वह होगी जो अनुसूची एक-का या एक-खा के अधीन प्रभार्य शुल्क की राशि में से राज्यों में पहले अदा किये गये शुल्क (यदि हो) को घटाकर निकले; और

(ii) खण्ड (1) के अधीन प्रभार्य शुल्क की राशि की अदायगी के लिये, उस विलेख पर लगाये गये स्टाम्प (यदि हों) के अतिरिक्त; आवश्यक स्टाम्पों से उस विलेख को उसी विधि से और उसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्पित किया जायेगा; जैसे कि वह ऐसा विलेख हो जो राज्य में प्रथम बार उस समय प्राप्त हुआ हो जब उस पर उच्चतर शुल्क प्रभार्य हुआ।

घा. शुल्क के लिए मूल्यांकन

20. विदेशी मुद्राओं में व्यक्त राशि का परिवर्तन

(1) जब किसी विलेख पर भारतीय मुद्रा से अन्य किसी मुद्रा में व्यक्त किसी धन पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य हो तो, वह शुल्क विलेख की तारीख के दिन विनिमय की प्रचलित दर के अनुसार उस मुद्रा के भारतीय मुद्रा के मूल्य पर आगणित किया जायेगा।

(2) स्टाम्प शुल्क के आगणन के प्रयोजन से, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ब्रिटिश, या अन्य किसी विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के लिये, विनिमय दरें निर्धारित कर सकती हैं और उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये वही दर प्रचलित दर मानी जायेगी।

21. स्टाक व विक्रेय ऋण पत्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाये

जब किसी विलेख पर किसी स्टाक या विक्रेय, या अन्य ऋण पत्रों के मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य हो तो शुल्क का आगणन विलेख की तारीख के दिन उस स्टाक या ऋण पत्रों के औसत कीमत या मूल्य के अनुसार उनके मूल्य पर किया जायेगा।

22. विनिमय दर या औसत कीमत व्यक्त किये जाने का प्रभाव

जब किसी विलेख में विनिमय की प्रचलित दर, या औसत कीमत, मामले में जैसा अपेक्षित हो, व्यक्त की गई हो और उस अभिव्यक्ति के अनुसार विलेख स्टाम्पित किया गया हो, तो जहाँ तक उस अभिव्यक्ति की विषय-वस्तु का प्रश्न है, जब तक विपरीत बात सिद्ध न हो जाये, विलेख यथाविधि स्टाम्पित माना जायेगा।

23. ब्याज आरक्षित करने वाले विलेख

जब किसी विलेख की शर्तों में सुस्पष्ट रूप से ब्याज देय किया गया हो तो, उस विलेख पर उससे अधिक कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा जो, उसमें ब्याज का उल्लेख न होने पर, उस पर प्रभार्य होता।

23-का. विक्रेय ऋण-पत्रों के बन्धक से सम्बन्धित कुछ विलेखों पर इकरारनामे के समान शुल्क प्रभार्य होगा

(1) जब कोई विलेख (जो प्रोमेसरी नोट या बिल आफ एक्सचेंज न हो) –

(क) ऋण के रूप में दिये गये, या दिये जाने वाले, धन या वर्तमान या भविष्यत् देनदारी को जमानत के रूप में विक्रेय ऋण-पत्रों के निक्षेप के अवसर पर दिया जाये, या

(ख) किसी विक्रेय ऋण-पत्र की जमानत के उद्देश्य से किये गये किसी यथाविधि स्टाम्पित अन्तरण को मोचनीय बनाये, या विशेषता प्रदान करे;

तो, उस पर उतना शुल्क प्रभार्य होगा जैसे कि वह अनुसूची एक-खा के अनुच्छेद 5 (ग) के अधीन इकरार या इकरार का ज्ञापन हो।

(2) ऐसे विलेख की दस्तबरदारी या उन्मोचन पर भी उतना ही शुल्क प्रभार्य होगा।

24. देनदारी के उपलक्ष्य में या भविष्यत् अदायगी से प्रतिबन्धित अन्तरण आदि पर शुल्क कैसे प्रभारित हो

जब कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण देय ऋण या उसके किसी भाग के उपलक्ष्य में, या किसी स्टाक या धन की सुनिश्चित, या सम्भावित अदायगी, या अन्तरण, जिसका उस सम्पत्ति पर प्रभार या वार हो, या बनता हों, या नहीं, के प्रतिबन्ध के साथ अंतरित की जावे, तो ऐसी देनदारी, धन या स्टाक उसका पूर्ण प्रतिफल या उसका अंश, जैसी भी स्थिति हो, माना जाना चाहिये, जिसके लिये उस अन्तरण पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य है।

परन्तु इस धारा का कुछ भी अनुसूची एक-खा के अनुच्छेद 18 में उल्लिखित बिक्री के प्रमाण-पत्र पर लागू न होगा।

स्पष्टीकरण – बन्धक या अन्य बार से प्रतिबन्धित सम्पत्ति के विक्रय के मामले में बन्धक या बार के धन का अदा न किया गया भाग, मय उसका व्याज के (यदि हो) जो देय हो, विक्रय के प्रतिफल का भाग माना जायेगा।

परन्तु जब बन्धक से प्रतिबन्धित सम्पत्ति बन्धकी के पक्ष में अन्तरित की जावे तो उसको, अन्तरण पर प्रभार्य शुल्क में से बन्धक के लिये पहले अदा किये शुल्क की राशि को कम करने का अधिकार होगा।

उदाहरण

(1) क पर ख की 1,000 रुपये की देनदारी थी। क एक सम्पत्ति ख के पक्ष में अन्तरित करता है जिसका प्रतिफल 500 रुपये के साथ पिछली देनदारी की 1,000 रुपये की दस्तबरदारी भी था। स्टाम्प शुल्क 1,500 रुपया पर देय है।

(2) क एक सम्पत्ति ख को बेचता है, जो ग के पास 1,000 रुपये ऋण और उसके बकाया ब्याज 500 रुपये से भारग्रस्त है। स्टाम्प शुल्क 1,700 रुपये पर प्रभार्य है।

(3) 10,000 रूपया मूल्य के मकान को क 5,000 रुपये में ख को बन्धक करता है। बाद में ख, क के उस मकान को क्रय कर लेता है। स्टाम्प शुल्क 10,000 रू. पर प्रभार्य है, परन्तु बन्धक पर द्या गया शुल्क घटा कर।

25. वार्षिकी आदि के मामले में मूल्यांकन

जब कोई विलेख किसी वार्षिकी या आवधिक देय धन की अदायगी सुरक्षित करने के लिये निष्पादित किया जाये, या किसी हस्तान्तरण का प्रतिफल वार्षिकी या आवधिक देय अन्य धन हो तो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित धन या प्रतिफल, जैसी भी स्थिति हो –

(क) जब वह धन किसी निश्चित अवधि के लिये देय हो, ताकि कुल देय धनराशि पहले ही ज्ञात की जा सके – तो वह कुल राशि होगा।

(ख) जब धन दवाम, या अनिश्चित अवधि, जो उस विलेख या हस्तान्तरण की तारीख को जीवित किसी प्राणी के जीवन के साथ समाप्य न हो, के लिये देय हो – तो वह कुल राशि होगा जो उस विलेख या हस्तान्तरण की शर्तों के अनुसार प्रथम भुगतान देय होने की तारीख से लगायत बीस वर्ष की अवधि में देय होगा, या देय हो सकता है।

(ग) जब धन विलेख या हस्तान्तरण की तारीख को जीवित किसी प्राणी के जीवन के साथ समाप्त होने वाली अनिश्चित अवधि के लिये देय हो – तो वह अधिकतम राशि होगा जो उपरोक्त प्रकार से प्रथम भुगतान देय होने की तारीख से लगायत बारह वर्ष की अवधि में देय होगा, या हो सकता है।

26. जब विषय-वस्तु का मूल्य अनिश्चित हो तो स्टाम्प

जब किसी विलेख, जिस पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य हो, के विषय-वस्तु की राशि या मूल्य उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन के समय निश्चित नहीं की जा सकती, या (इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व निष्पादित विलेख के मामले में) न की जा सकी हो, तो उस विलेख के अधीन उस अधिकतम राशि या मूल्य से अधिक का दावा नहीं किया जा सकेगा जिसके लिये उस पर वास्तव में लगाया गया स्टाम्प, उस तारीख को पर्याप्त होता, यदि वह राशि या मूल्य उसी प्रकार के विलेख में व्यक्त की गई होती;

परन्तु खदान की लीज पर, जहाँ किराये या किराये के भाग के रूप में रायल्टी या खनिज का भाग प्राप्त हो, स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिये, उस रायल्टी या खनिज के भाग का मूल्यांकन –

(क) जब लीज सरकार द्वारा या उसकी तरफ से दी गई हो, तो उस राशि या मूल्य पर, जो मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, कलेक्टर द्वारा, लीज के अधीन रायल्टी या खनिज के भाग के रूप में सरकार को देय होना अनुमानित किया गया है, या

(ख) जब लीज किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हो तो – 20,000 रुपये प्रति वर्ष पर, अनुमानित कर लेना पर्याप्त होगा।

और उस लीज के अधीन उस रायल्टी या खनिज के भाग की संपूर्ण राशि का, चाहे वह जो भी हो, दावा किया जा सकता है।

परन्तु यह भी कि जब किसी विलेख के सम्बन्ध में धारा 31 या 41 के अधीन कार्यवाही की जा चुकी हो तो कलेक्टर द्वारा प्रमाणित राशि, निष्पादन की तारीख को वास्तव में लगाया गया स्टाम्प माना जायेगा।

27. शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्य विलेख में व्यक्त हों

(1) प्रतिफल (यदि हो), और अन्य सब तथ्य और परिस्थितियाँ, जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता, या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, उसमें संपूर्णतया और सत्यतापूर्वक व्यक्त किये जायेंगे।

(2) अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित विलेखों में, जिनमें व्यक्त किये गये मूल्य पर नहीं, बल्कि सम्पति के मूल्य पर, मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य है, मालगुजारी वाली भूमि के मामले में वार्षिक मालगुजारी, अन्य अचल सम्पत्ति के मामले में वार्षिक किराया, या कुल आस्तियाँ (यदि हों), स्थानीय रेट्स, नगरपालिका के, या अन्य कर, जो उस सम्पत्ति पर लगाये गये हों, और अन्य कोई ब्यौरा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में निर्धारित किया गया हो, विलेख में सम्पूर्णतया और सत्यतापूर्वक व्यक्त किये जाएँगे।

28. कुछ हस्तान्तरणों के मामले में शुल्क सम्बन्धी निर्देश

(1) जब एक प्रतिफल के उपलक्ष्य में किसी समूची सम्पत्ति के विक्रय का इकरार हुआ हो, और वह क्रेता को अलग-अलग विलेखों द्वारा, अलग-अलग भागों में हस्तान्तरित हुई हो, तो प्रतिफल उस प्रकार आवंटित किया जायेगा जिसको पक्षकार ठीक समझे, बशर्ते कि प्रत्येक भाग के लिये अलग प्रतिफल उससे सम्बन्धित हस्तान्तरण में व्यक्त किया जाये और ऐसे हस्तान्तरण पर उसके अलग प्रतिफल पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य होगा।

(2) एक प्रतिफल के उपलक्ष्य में किसी समूची सम्पत्ति को दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से, या किसी व्यक्ति द्वारा अपने और अन्य लोगों के लिये या सम्पूर्णतया अन्य लोगों के लिये, क्रय करने का इकरार होने पर, यदि वह अलग-अलग विलेखों द्वारा प्रतिफल के अलग-अलग भागों के उपलक्ष्य में, उन व्यक्तियों को जिन्होंने या जिनके लिये, वह क्रय की गई हो, हस्तान्तरित की जाये तो प्रत्येक ऐसे अलग भाग के हस्तान्तरण पर उसमें व्यक्त प्रतिफल के अलग भाग पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य होगा।

(3) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी सम्पत्ति को क्रय करने का इकरार किया हो, परन्तु हस्तान्तरण न करवा लिया हो, उस सम्पत्ति को किसी अन्य को बेचने का इकरार करे, और इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति सीधे उप-क्रेता को हस्तान्तरित की जाये तो उस हस्तान्तरण पर मूल क्रेता द्वारा उप-क्रेता को किये गये विक्रय के प्रतिफल पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य होगा।

(4) जब कोई व्यक्ति, जिसने किसी सम्पत्ति को क्रय करने का इकरार किया हो, परन्तु हस्तान्तरण न करवाया हो, उस सम्पत्ति को, या उसके किसी भाग को अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय करने का इकरार करे और उसके परिणाम स्वरूप सम्पत्ति मूल विक्रेता द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग भागों में हस्तान्तरित हो, तो मूल प्रतिफल की राशि का लिहाज किये बिना, उप-क्रेताओं को बेचे गये प्रत्येक भाग के हस्तान्तरण पर, उस भाग के लिये उप-क्रेता द्वारा अदा किये गये प्रतिफल पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य होगा,

और मूल क्रेता को दिये गये बचत (यदि हो) के हस्तान्तरण पर उप-क्रेताओं द्वारा अदा किये गये कुल प्रतिफल के योग से मूल प्रतिफल की बढ़त की राशि पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य होगा।

परन्तु अन्तिम वर्णित हस्तान्तरण पर शुल्क किसी दशा में एक रुपये से कम न होगा।

(5) जब कोई उप-क्रेता अपने तत्काल विक्रेता के स्वत्व का हस्तान्तरण करा ले, जिस पर उसके द्वारा अदा किये गये प्रतिफल पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य हो और तदनुसार वह यथविधि स्टाम्पित हो तो बाद में मूल विक्रेता द्वारा उसके पक्ष में उसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उतना ही शुल्क प्रभार्य होगा जितना मूल विक्रेता को दिये गये प्रतिफल पर प्रभार्य हो, या यदि ऐसा शुल्क पाँच रुपया से अधिक होता तो पाँच रुपया शुल्क प्रभार्य होगा।

ङ - शुल्क, किसके द्वारा देय

29. शुल्क, किसके द्वारा देय

किसी इकरार में कोई विपरीत बात न होने पर, उचित स्टाम्प देने का व्यय निम्नलिखित अनुसार वहन किया जायेगा –

(क) अनुसूची एक, एक-का या एक-खा, जैसी भी स्थिति हो, के निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद में वर्णित किसी विलेख के मामले में, अर्थात् –

क्रमांक 2 (एडमिनिस्ट्रेशन बांड),

क्रमांक 6 (स्वत्व पत्रों के निक्षेप, आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार),

क्रमांक 13 (बिल आफ एक्सचेंज),

क्रमांक 15 (बांड),

क्रमांक 16 (बाटमरी बांड),

क्रमांक 26 (कस्टम बांड),

क्रमांक 27 (डिबेंचर),

क्रमांक 32 (अतिरिक्त प्रभार),

क्रमांक 34 (क्षतिपूर्ति बांड),

क्रमांक 40 (बन्धक-पत्र),

क्रमांक 43 (टिप्पणी या ज्ञापन),

क्रमांक 49 (प्रोमेसरी नोट),

क्रमांक 55 (दस्तबरदारी),

क्रमांक 56 (रेस्पोन्डेशिया बांड),

क्रमांक 57 (जमानती बांड या बन्धक-पत्र),

क्रमांक 58 (व्यवस्थापन),

क्रमांक 62 (क) (निगमित कम्पनी या अन्य निगमित संस्था के शेयरों का अन्तरण),

क्रमांक 62 (ख) (धारा 8 में वर्णित डिबेंचरों को छोड़कर डिबेंचरों का, जो विक्रेय ऋणपत्र हो, अन्तरण, चाहे डिबेंचर पर शुल्क देय हो या नहीं),

क्रमांक 62 (ग) (बांड, बन्धक-पत्र या बीमा पालिसी द्वारा सुरक्षित किसी हित का अन्तरण);

ऐसे विलेख को आहरित करने, बनाने या निष्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा;

(ख) अग्नि बीमा से अन्यथा बीमा पालिसी के मामले में – बीमा करने वाले व्यक्ति द्वारा;

(ख-ख) अग्नि बीमा पालिसी के मामले में – पालिसी जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा;

(ग) हस्तान्तरण (जिसमें बन्धक की गई सम्पत्ति का प्रति-हस्तान्तरण भी शामिल है); के मामले में ग्रहीता द्वारा; लीज या लीज के इकरार पर लीजग्रहीता या अभिलाषी लीजग्रहीता द्वारा;

(घ) लीज के प्रतिलेख के मामले में – लीजदाता द्वारा:

(ड.) विनिमय विलेख के मामले में – पक्षकारों द्वारा समभाग में:

(च) विक्रय प्रमाण-पत्र के मामले में – प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित सम्पत्ति के क्रेता द्वारा; और

(च-च) दान की किसी लिखत की दशा में आदाता द्वारा;

(छ) विभाजन विलेख के मामले में – उसके पक्षकारों द्वारा, सम्पूर्ण विभाजित सम्पत्ति में अपने-अपने भाग के अनुपात में, या जब विभाजन किसी राजस्व अधिकरण या दीवानी न्यायालय या पंच द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के फलस्वरूप किया गया हो तो ऐसे अधिकरण, न्यायालय या-पंच द्वारा निर्धारित अनुपात में।

30. कुछ मामलों में रसीद देने का दायित्व

बीस रुपये से अधिक धनराशि या बीस रुपये से अधिक राशि का बिल आफ एक्सचेंज, चेक, या प्रोमेसरी नोट पाने वाला ऋणी देनदारी की पूर्ण या आंशिक चुकती में बीस रुपये से अधिक मूल्य की चल सम्पत्ति पाने वाला व्यक्ति, धन अदा करने वाले या उस बिल, चेक, नोट या सम्पत्ति देने वाले व्यक्ति की माँग पर यथाविधि स्टाम्पित रसीद देगा।

किसी अग्नि बीमा के ठेके के नवीकरण के लिये कोई नजराना या प्रतिफल पाने वाला व्यक्ति, उस नजराने या प्रतिफल की प्राप्ति या जमा स्वीकार करने के बाद एक माह के अन्दर उसकी यथाविधि स्टाम्पित रसीद देगा।

अध्याय 3

स्टाम्प का अधिनिर्णयन

31. उचित स्टाम्प का अधिनिर्णयन

(1) जब कोई विलेख, जो निष्पादित हो या नहीं और पहले स्टाम्पित हो या नहीं, कलेक्टर के पास लाया जावे, और लाने वाला व्यक्ति उस पर प्रभार्य शुल्क (यदि हो) के बारे में उस अधिकारी की राय मालूम करने के लिये आवेदन करे, और वह फीस ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय अदा करे" तो कलेक्टर वह शुल्क (यदि हो) निश्चित करेगा, जो उसकी समझ में उस विलेख पर प्रभारणीय है।

(2) इस प्रयोजन से कलेक्टर विलेख का सार और ऐसा शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य जिसे वह यह सिद्ध करने के लिये आवश्यक समझे कि विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता, या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि निश्चित करने के लिये सब तथ्य और परिस्थितियाँ उसमें पूर्णतया और सत्यता पूर्वक व्यक्त किये गये हैं, उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दे सकता है और जब तक वह सार और साक्ष्य तदनुसार उपलब्ध न किया जाये, आवेदन पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकता है।

परन्तु कि –

(क) इस धारा के अनुपालन में उपलब्ध किया गया कोई साक्ष्य उस विलेख पर प्रभार्य शुल्क के बारे में जाँच के सिवाय किसी दीवानी कार्रवाई में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने ऐसा साक्ष्य उपलब्ध किया हो, वह पूर्ण शुल्क अदा करने पर जो उससे सम्बन्धित विलेख पर प्रभार्य हो, विलेख में उक्त कथित तथ्य और परिस्थितियों के सत्यतापूर्वक व्यक्त करने में त्रुटि के कारण, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त दन्ड से अवमुक्त हो जायेगा।

32. कलेक्टर का प्रमाणन

(1) जब कलेक्टर के पास धारा 31 के अधीन लाया गया कोई विलेख उस प्रकार का हो जिस पर शुल्क प्रभार्य है, और

(क) कलेक्टर यह निश्चित करे कि वह पहले ही पूर्णतया स्टाम्पित है, या

(ख) धारा 31 के अधीन कलेक्टर द्वारा निश्चित किया गया शुल्क, या वह धनराशि जो विलेख पर पहले अदा किये गये शुल्क मिलाकर इस प्रकार निश्चित किये गये शुल्क के बराबर हो, अदा कर दिया जाये;

तो कलेक्टर पृष्ठांकन द्वारा उस विलेख पर प्रमाणित करेगा कि वह पूरा शुल्क (राशि व्यक्त करते हुये) जो उस पर प्रभार्य है, अदा कर दिया गया है।

(2) जब उसकी राय में विलेख शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो कलेक्टर उक्त कथित विधि से प्रमाणित करेगा कि विलेख प्रभार्य नहीं है।

(3) कोई विलेख जिस पर इस धारा के अधीन पृष्ठांकन किया गया है, यथाविधि स्टाम्पित या शुल्क से अप्रभार्य, जैसी भी स्थिति हो, माना जायेगा, और यदि उस पर शुल्क प्रभार्य है तो साक्ष्य में या अन्यथा ग्राह्य होगा और उसका क्रियान्वयन या रजिस्ट्रीकरण वैसे ही किया जा सकता है जैसे कि वह प्रारम्भ से ही यथाविधि स्टाम्पित हो।

परन्तु इस धारा का कुछ भी कलेक्टर को –

(क) धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खन्ड (ख-ख) के अधीन प्रभार्य विलेख से अन्यथा, भारत में निष्पादित या प्रथम निष्पादित, जैसी भी स्थिति हो, किसी विलेख को, और जो उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन की तारीख से एक माह की समाप्ति के बाद उसके पास लाया जाये;

(ख) किसी विलेख को, जो भारत के बाहर निष्पादित या प्रथम निष्पादित हो और भारत में प्रथम बार प्राप्त होने के बाद तीन माह की समाप्ति के बाद उसके पास लाया जाये;

(ग) किसी विलेख को, जिस पर बीस पैसा से अनधिक शुल्क प्रभार्य हो, या किसी बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट को, यदि वह यथाविधि स्टाम्पित न किये गये कागज पर आहरित या निष्पादित किये जाने के बाद उसके पास लाया जाये; या

(घ) किसी विलेख को, जो धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खन्ड (ख-ख) के अधीन प्रभार्य हो, और उत्तर प्रदेश में पहली बार प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति के बाद उसके पास लाया जाये;

पृष्ठांकित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

अध्याय 4

यथाविधि स्टाम्पित न किये गये विलेख

33. विलेखों का परीक्षण और जब्ती -

(1) विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत, पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है, उसे जब्त करेगा।

(2) इस प्रयोजन से, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, यह सुनिश्चित करने के लिये कि विलेख के निष्पादन या प्रथम निष्पादन के समय भारत में प्रचलित विधि में निर्धारित मूल्य और प्रकार के स्टाम्प से स्टाम्पित है, उसके समक्ष ऐसे प्रस्तुत किये गये या आये प्रत्येक ऐसे प्रभार्य विलेख का परीक्षण करेगा।

परन्तु –

(क) यहां पर किसी बात से किसी मजिस्ट्रेट या फौजदारी न्यायालय के जज से, यह अपेक्षा करना नहीं माना जायेगा कि यदि वह ऐसा करना उचित न समझे, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 की धारा 125 से 128 तक और 145 से 148 तक के अधीन हो रही कार्रवाई के सिवाय, अन्य किसी कार्रवाई में उसके समक्ष प्रस्तुत होने वाले या आने वाले विलेख का परीक्षण करे या उसको जब्त करे;

(ख) उच्च न्यायालय के जज के मामले में, इस धारा के अधीन विलेखों का परीक्षण करने और जब्त करने का दायित्व, उस अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है जिसे न्यायालय इस कार्य के लिये नियुक्त करे;

(3) संदेह की दशा में, राज्य सरकार यह निश्चित कर सकती है कि कौन कार्यालय सार्वजनिक कार्यालय माने जायेंगे और कौन व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी माने जायेंगे;

(4) जब अदा किये गये स्टाम्प शुल्क में कमी किसी विलेख की नकल से ज्ञात हो, तो कलेक्टर स्वयमेंव, या किसी न्यायालय, या स्टाम्प आयुक्त, या अपर स्टाम्प आयुक्त, या स्टाम्प उप-आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राजस्व परिषद् द्वारा इस कार्य के लिये अधिकृत अधिकारी के संदर्भ पर, विलेख पर अदा किये गये स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता के बारे में अपनी सन्तुष्टि करने के प्रयोजन से, मूल विलेख को तलब कर सकता है और उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया ऐसा विलेख उसके कार्य के सम्पादन में उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ, या आया हुआ, माना जायेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर विलेख प्रस्तुत न किये जाने की दशा में, वह, विलेख की नकल पर धारा 40 के अधीन दण्ड सहित स्टाम्प शुल्क (यदि हो) की अदायगी का निदेश दे सकता है।

परन्तु विलेख ने निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के बाद उप-धारा (4) और उप-धारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उपधारा (4) और उप-धारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात, किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती है।"

34. अस्टाम्पित रसीदों के बारे में विशेष प्रावधान

किसी सार्वजनिक लेखे की सम्परीक्षा के दौरान यदि कोई रसीदें, जिस पर 10 पैसे से अनधिक शुल्क प्रभार्य है, किसी अधिकारी को दी जाये या उसके समक्ष प्रस्तुत की जाये तो वह अधिकारी, अपने विवेकानुसार, विलेख को जब्त करने के बदले उसके स्थान पर यथाविधि स्टाम्पित रसीद प्रतिस्थापित करने का आदेश दे सकता है।

35. यथाविधि स्टाम्पित न किये गये विलेख साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं, इत्यादि

विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे विलेख को, जो शुल्क से प्रभार्य है, साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा, या ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा, उसको कार्यान्वित, रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित न हो;

परन्तु-

(क) ऐसा कोई विलेख, जो रसीद या बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट न हो, उस पर प्रभार्य शुल्क, या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित विलेख की दशा में, उस शुल्क को पूरा करने के लिये आवश्यक राशि, और उसके साथ ["शास्ति की राशि जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने के बराबर हो] सब न्यायोचित अपवादों के प्रभावधीन साक्ष्य में स्वीकार किया जायेगा;

(ख) जब किसी व्यक्ति ने, जिससे स्टाम्पित रसीद माँगी जा सकती थी, अस्टाम्पित रसीद दी हो और वह रसीद, यदि स्टाम्पित होती तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होती तब रसीद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा एक रुपया दण्ड की अदायगी पर वह रसीद, रसीद देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में स्वीकार की जायेगी;

(ग) जब किसी प्रकार का ठेका या इकरार दो या अधिक पत्रों द्वारा सम्पन्न हो और उनमें से किसी एक पत्र पर उचित स्टाम्प लगा हो, तो ठेका या इकरार यथाविधि स्टाम्पित माना जायेगा;

(घ) इसमें की कोई बात कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 की धारायें 125 से 128 तक और धारायें 145 से 148 तक के अधीन चल रहे मामलों से अन्यथा फौजदारी न्यायालय में चल रही किसी कार्यवाही में किसी विलेख के साक्ष्य में स्वीकार किये जाने में बाधक नहीं होगी;

(ङ.) इसमें की कोई बात किसी विलेख के किसी न्यायालय में स्वीकार करने में बाधक नहीं होगी यदि विलेख सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया हो, या धारा 32 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

36. विलेख के स्वीकारण पर कब आपत्ति नहीं उठाई जायेगी

जब कोई विलेख साक्ष्य में स्वीकार कर लिया गया हो, तो धारा 61 के प्रावधानों के अधीन के सिवाय, उसी वाद या मामले के किसी चरण में उसके स्वीकार किये जाने के विषय पर इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी कि विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है।

37. अनुचित रूप से स्टाम्पित विलेखों का स्वीकार किया जाना

राज्य सरकार नियम बना कर प्रावधान कर सकती है कि जब किसी विलेख पर पर्याप्त राशि का स्टाम्प लगा हो, परन्तु वह उचित प्रकार का न हो, तो शुल्क की वह राशि जो उस पर प्रभार्य है, अदा किये जाने पर, उसका यथाविधि स्टाम्पित होना प्रमाणित किया जा सकता है, और तब इस प्रकार प्रमाणित विलेख निष्पादन की तारीख से ही यथाविधि स्टाम्पित माना जायेगा।

38. जब्त किये गये विलेखों पर कार्रवाई कैसे की जाये

(1) जब धारा 33 के अधीन किसी विलेख को जब्त करने वाले व्यक्ति को, विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने का अधिकार प्राप्त हो, और वह ऐसे विलेख को धारा 35 के प्रावधानानुसार दण्ड की अदायगी पर या धारा 37 के प्रावधानानुसार शुल्क की अदायगी पर साक्ष्य में स्वीकार करे, तो वह उस विलेख की एक प्रमाणित नकल, ऐसे प्रमाणक के साथ जिसमें उसके सम्बन्ध में वसूल किये गये शुल्क और दन्ड की राशि व्यक्त की गई हो, कलेक्टर के पास भेजेगा, और उस राशि को कलेक्टर या उस व्यक्ति के पास भेजेगा जिसे इस कार्य के लिये कलेक्टर ने नियुक्त करे।

(2) अन्य किसी दशा में विलेख को जब्त करने वाला व्यक्ति उसे मूल रूप में कलेक्टर के पास भेजेगा।

39. धारा 1998 के अधिनियम 22 द्वारा विलोपित जो 1-9-1998 से प्रभावी है।

40. जब्त किये गये विलेखों को स्टाम्पित करने की कलेक्टर की शक्ति

(1) जब कलेक्टर किसी विलेख को धारा 33 के अधीन जब्त करे, या धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन भेजे गये किसी विलेख को प्राप्त करे, यदि वह विलेख रसीद या बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट न हो, तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा : –

(क) यदि उसकी राय है कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित है, या उस पर शुल्क प्रभार्य नहीं है, तो वह उस विलेख को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि विलेख यथाविधि स्टाम्पित है या प्रभार्य नहीं है, जैसी भी दशा हो;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक होगी, दी जाये।

परन्तु जब विलेख केवल इस कारण जब्त किया गया हो कि धारा 13 या धारा 14 का उल्लंघन करते हुए लिखा गया है तो, यदि वह उचित समझे तो, इस धारा में निर्धारित पूरे दन्ड को माफ कर सकता है।

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति उद्ग्रहीत नहीं कि जावेगी जब तक सम्बन्धित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाये।”

(1-क) कलेक्टर यह अपेक्षा भी करेगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाये:

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुन:संगणना की जायेगी;

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन देय ब्याज की रकम, देय में जोड़ दी जायेगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिये दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा;

(1-ग) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा (1-क) में विहित ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो;

(1-घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।"

(2) उपधारा (1) के खन्ड (क) के अधीन दिया गया प्रमाणक, इस अधिनियम के प्रयोजन से, उसमें व्यक्त विषय का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा।

(3) जब कोई विलेख धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर के पास भेजा गया हो, तो वह उस पर इस धारा में विहित कार्रवाई करने के बाद उसे जब्त करने वाले अधिकारी को वापस कर देगा।

41. संयोग से विधि-विपरीत स्टाम्पित विलेख

यदि कोई विलेख, जिस पर शुल्क प्रभार्य है, और जो यथाविधि स्टाम्पित नहीं है, और यदि वह ऐसा विलेख न हो जिस पर केवल बीस पैसे से अनधिक शुल्क प्रभार्य है, या वह बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट न हो, तो यदि उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के अन्दर, अपनी इच्छा से, किसी व्यक्ति द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और वह व्यक्ति कलेक्टर की जानकारी में यह लाये कि विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है, और कलेक्टर को संतोष हो जाए कि इस विलेख को यथाविधि स्टाम्पित करने में त्रुटि, संयोग, भ्रम या त्वरित आवश्यक्ता से उत्पन्न हुई तो वह धारा 33 और 40 के अधीन कार्रवाई करने के स्थान पर उस राशि को स्वीकार कर ले और अगले अनुगामी प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करें।

42. धारा 35, 40, 41 या 47-का के अधीन जिन विलेखों पर शुल्क अदा हुआ हो उनका पृष्ठांकन

(1) जब किसी विलेख के लिये आरोपणीय शुल्क और दण्ड (यदि हो) धारा 35, धारा 40, धारा 41 या 47-का के अधीन अदा कर दिया जाये तो, उस विलेख को साक्ष्य में ग्रहण करने वाला व्यक्ति, या कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकन द्वारा उस पर प्रमाणित करेगा कि उसके लिये उचित शुल्क या जैसी भी स्थिति हो, उचित शुल्क और दण्ड (प्रत्येक की राशि व्यक्त करते हुये) वसूल कर लिये हैं और उनको अदा करने वाले व्यक्ति का नाम व निवास स्थान अंकित करेगा;

(2) इस प्राकर पृष्ठांकित प्रत्येक विलेख तत्पश्चात् साक्ष्य में स्वीकार होगा और उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है उसे कार्यान्वित या उसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है जैसे कि वह यथाविधि स्टाम्पित रहा हो, और उस व्यक्ति के, जिसके पास से वह जब्त करने वाले अधिकारी के हाथ में आया हो, इस विषयक आवेदन पर वह उसको, या जैसा वह निदेश करे, दे दिया जायेगा।

परन्तु

(क) जो विलेख धारा 35 के अधीन शुल्क और दण्ड की अदायगी पर साक्ष्य में ग्रहण किया गया हो, वह जब्ती की तारीख से एक माह की समाप्ति के पहले, या यदि कलेक्टर ने प्रमाणित किया हो कि उसका और अधिक समय तक रोका जाना आवश्यक है, और यह प्रमाण-पत्र निरस्त न किया गया हो तो विलेख, उक्त प्रकार से नहीं दिया जायेगा।

(ख) इस धारा की किसी बात का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (1882 का चौदहवाँ) की धारा, 144 के खन्ड 3 पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

43. स्टाम्प-विधि के विरुद्ध अपराध के लिये अभियोजन

किसी विलेख के सम्बन्ध में इस अध्याय के अधीन कार्रवाई किया जाना या दण्ड की अदायगी, ऐसे व्यक्ति के, जिसके द्वारा उस विलेख के सम्बन्ध में स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध किया जाना प्रतीत होता हो, अभियोजन में बाधक न होगा।

परन्तु किसी ऐसे विलेख के मामले में, जिसके लिये उक्त दण्ड अदा कर दिया गया हो, कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा जब तक कलेक्टर को यह प्रतीत न हो कि उचित शुल्क की अदायगी को टालने के अभिप्राय से अपराध किया गया है।

44. कुछ मामलों में शुल्क या दण्ड अदा करने वाला व्यक्ति उसे वसूल कर ले

(1) जब धारा 35, धारा 37, धारा 40 या धारा 41 के अधीन किसी विलेख के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति ने शुल्क या दण्ड अदा किया हो और पक्षकारों की सहमति, या धारा 29, या विलेख के निष्पादन की तारीख को लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन उस विलेख के लिये उचित स्टाम्प का व्यय वहन करने के लिये कोई अन्य व्यक्ति बाध्य हो, तो प्रथम वर्णित व्यक्ति, उस दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार अदा किये गये शुल्क या दण्ड की राशि वसूल करने का अधिकारी होगा।

(2) इस वसूली के प्रयोजन से उस विलेख पर इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रमाणक उसमें प्रमाणित मामलों का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा।

(3) यदि न्यायालय उचित समझे तो किसी वाद या कार्रवाई में, जिसमें वे लोग पक्षकार हों और जिसमें वह विलेख साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया हो, के खर्चे संबंधी आदेश में उस धनराशि को शामिल कर दे। यदि न्यायालय उस आदेश में उस राशि को शामिल न करे, तो उस राशि की वसूली के लिये अन्य कोई कार्रवाई न की जा सकेगी।

45. कुछ मामलों में दण्ड या अधिक शुल्क वापस करने का राजस्व अधिकरण को अधिकार

(1) जब धारा 35 या धारा 40 के अधीन कोई दण्ड अदा किया गया हो, तो उस अदायगी की तारीख से एक वर्ष के अन्दर दिये गये लिखित आवेदन पर, मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकरण, उस दन्ड को पूर्णतया या अंशत: वापस कर सकता है।

(2) यदि मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण की राय में, धारा 35 या धारा 40 के अधीन विधिक रूप से प्रभार्य से अधिक शुल्क लगाया और अदा किया गया है तो वह अधिकरण, लगाने के आदेश की तारीख से तीन माह के अन्दर लिखित आवेदन पर, अधिक राशि को वापस कर सकता है।

46. धारा 38 के अधीन भेजे गये विलेखों की हानि के लिये दायित्व नहीं

(1) यदि धारा 38 की उप-धारा (2) के अधीन कलेक्टर को भेजा गया कोई विलेख पारेषण के दौरान खो जाये, नष्ट हो जाये, या क्षतिग्रस्त हो जावे तो उस खोने, नष्ट होने या क्षति के लिये भेजने वाला व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) जब कोई विलेख उपरोक्तानुसार भेजा जा रहा हो तो वह व्यक्ति, जिसके पास से विलेख जब्त करने वाले व्यक्ति के हाथ में आया हो, जब्त करने वाले व्यक्ति से प्रथम वर्णित व्यक्ति के व्यय पर उस विलेख की नकल तैयार कर उसे प्रमाणित करने की माँग कर सकता है।

47. अस्टाम्पित दशा में प्राप्त बिल आफ एक्सचेंज और प्रोमेसरी नोटों को स्टाम्पित करने का अदा करने वाले का अधिकार

जब कोई बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट, जिस पर दस पैसे से अनधिक शुल्क प्रभारणीय हो, अस्टाम्पित दशा में भुगतान के लिये प्रस्तुत किया जाये, तो जिस व्यक्ति के समक्ष वह अदायगी के लिये प्रस्तुत किया जाये वह उस पर वांछित चिपकाऊ स्टाम्प लगा ले और इसमें पहले बताई विधि से उसे निरस्त कर, उस बिल या नोट पर देय धन अदा करे और उस शुल्क को उस व्यक्ति से वसूल कर ले, जिसके द्वारा उसे अदा किया जाना था या उपरोक्तानुसार देय धनराशि में से उसे मुजरा कर ले, और जहाँ तक शुल्क का प्रश्न है, वह बिल या नोट सही और वैध माना जायेगा।

परन्तु इसमें की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी दन्ड या कार्रवाई से बरी नहीं करेगी जिसका उस बिल या नोट के सम्बन्ध में वह भागी हो।

47-का. लिखत का अवमूल्यन -

(1) (क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजारी मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, की विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार

अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के आधीन कोई कार्रवाही करने के पहले, धारा 29 के आधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार पुन: प्रस्तुत करने के लिए लिखत को वापस लौटा देगा।

(ख) जब खण्ड (क) के आधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में दे दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को दे दिया गया है और अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को यथाविहित घोषणा के साथ छापित स्टाम्प के रूप में खण्ड (क) के अधीन अदा किया जा सकता है।

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुन: प्रस्तुत करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलेक्टर को अभिदिष्ट करेगा।"

(2) उपधारा (1) के आधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत की जाए, जाँच करने के पश्चात् सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसी लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय उचित शुल्क अवधारित करेगा।

(3) कलेक्टर, स्वप्रेरणा से, या किसी न्यायालय या स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के अभिदेश पर, किसी लिखत को, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो और जो उपधारा (1) के अधीन उसे पहले से, अभिदिष्ट न हो, सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसे लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय शुल्क की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर मँगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है, और यदि ऐसे परीक्षण के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखत में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क अवधारित कर सकता है:

परन्तु राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती है।

स्पष्टीकरण – उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलेक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।"

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन जाँच और उपधारा (3) के अधीन परीक्षण करने पर कलेक्टर सम्पत्ति के बाजार मूल्य को –

(एक) ठीक प्रकार से उल्लिखित और लिखत के सम्यक् रूप से स्टाम्पित पाये तो वह पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और उसे उस व्यक्ति को वापस करेगा जिसने अभिदेश किया हो –

(दो) ठीक प्रकार से उल्लिखित न पाये और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित न पाये तो वह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के चार गुने से अनधिक होगी, दी जाये।

(4-क) कलेक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाये :

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुन: संगणना की जायेगी।

(4-ख) उपधारा (4-क) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(4-ग) जहाँ स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(4-घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति

समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, को प्रति समायोजित किया जायेगा।"

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के आधीन कलेक्टर के सामने प्रस्तुत लिखत को उसके कृत्यों के पालन में उसके सामने आया हुआ माना जायेगा।

(6) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी, यदि कोई हो, लिखत की प्रति पर उपधारा (2) और (4) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार शास्ति के साथ संदाय करने की अपेक्षा कर सकता है।"

48. शुल्कों और दण्डो की वसूली

सब शुल्क, दण्ड और अन्य धनराशियाँ, जिनकी इस अधिनियम के अधीन अदायगी अपेक्षित है, कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति की जिसके द्वारा वह देय है, चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री से, या लगान के बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रचलित किसी अन्य प्रक्रिया से वसूल किये जा सकते हैं।

48-का. जिन विलेखों पर उत्तर प्रदेश में उच्चतर दर से शुल्क देय है उन पर प्रमाणक या पृष्ठांकन की वैधता

इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद किसी विलेख पर, जो उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति में यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन उच्चतर दर पर शुल्क से प्रभार्य हो, इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रमाणक, या पृष्ठांकन, शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में साक्ष्य में स्वीकार किये जाने, या अन्य किसी प्रकार से वैध न होगा, जब तक उस विलेख पर उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति में यथासंशोधित इस अधिनियम में विहित दर से प्रभार्य शुल्क अदा न किया गया हो।

अध्याय 5

कुछ दशाओं में स्टाम्पों के लिये छूट

49. बिगड़े स्टाम्पों के लिये छूट

आवश्यक साक्ष्य लेने, या जाँच करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के प्रभावाहीन, धारा 50 में निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन दिये जाने पर और यदि वह तथ्यों के बारे में संतुष्ट हो जाये, तो कलेक्टर एतद्पश्चात् वर्णित मामलों में विमुद्रित बिगड़े स्टाम्पों के लिए छूट दे सकता है, अर्थात् –

(क) जब किसी कागज पर का स्टाम्प, उस पर लिखे गये विलेख का किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादन किये जाने के पहले, असावधानी से और बिना दुर्भावना के बिगड़ जावे मिट जावे, या लेखन की त्रुटि से या अन्य किसी तारीके से अभिप्रेत प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हो जावे;

(ख) किसी लेखपत्र पर का स्टाम्प जो पूर्णतया या अंशत: लिखा गया हो, परन्तु किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया हो;

(ग) इन्दुलतलब से अन्यथा अदायगी वाले बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट के मामले में –

(1) अहर्ता द्वारा, या उसकी ओर से, हस्ताक्षरित ऐसा बिल आफ एक्सचेंज, जो सकारा न गया हो, या सकारने के लिये प्रस्तुत किये जाने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन से उसके हाथ से बाहर न गया हो, पर लगा स्टाम्प : बशर्ते कि जिस कागज पर स्टाम्प विमुद्रित हो उस पर कोई हस्ताक्षर न हो, जो बिल आफ एक्सचेंज को सकारने के या उस अभिप्राय से उस पर बाद में लिखी जाने वाली स्वीकृति मानी जा सके;

(2) बनाने वाले, या उसकी ओर से हस्तक्षारित प्रामिसरी नोट जिसका किसी प्रकार कोई उपयोग न किया गया हो, या जो उसके हाथ से बाहर न गया हो, पर लगा स्टाम्प;

(3) अहर्ता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट पर लगा या लगाया जाने वाला स्टाम्प जो किसी भूल या त्रुटि से बिगड़ गया हो, या अनुपयोगी हो गया हो, यद्यपि बिल आफ एक्सचेंज होने की दशा में वह सकारने के लिये प्रस्तुत, या पृष्ठांकित, किया जा सकता हो, – बशर्ते कि दूसरा पूरा किया गया हुआ यथाविधि स्टाम्पित बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट, जो उक्त कथित भूल या त्रुटि की शुद्धि के सिवाय, हर दृष्टि से बिगड़े बिल या नोट के बिल्कुल समान हो, प्रस्तुत किया जाये;

(घ) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित विलेख के लिये प्रयुक्त स्टाम्प, जो –

(1) वाद में विधिक दृष्टिकोण से आरम्भ से ही प्रभावहीन पाया गया हो,

(2) उसमें हुई किसी त्रुटि या गलती के कारण, बाद में मूल अभिप्राय के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो,

(3) उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा उसका निष्पादन किया जाना आवश्यक था, उसका निष्पादन किये बिना मृत्यु हो जाने या ऐसे व्यक्ति द्वारा उसका निष्पादन करने से इनकार करने के कारण अभिप्रेत सौदे को प्रस्तावित रूप में सम्पन्न करने के लिये पूरा न किया जा सके,

(4) किसी आवश्यक पक्षकार के निष्पादन के अभाव में और निष्पादन करने से उसकी इन्कारी, या असमर्थता के कारण, उस प्रयोजन के लिये जो वास्तव में अभिप्रेत था, अपूर्ण और अपर्याप्त हो;

(5) किसी व्यक्ति द्वारा उसके अधीन कार्य करने, या वह धन, जिसका उससे सुरक्षित किया जाना अभिप्रेत है देने से, इन्कार करने या उससे दिये गये किसी पद को अस्वीकार करने के कारण, अभिप्रेत प्रयोजन में पूर्णतया असफल हो जाये,

(6) उसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले सौदे को उन्हीं पक्षकारों के बीच अन्य विलेख द्वारा, जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प न लगा हो, सम्पन्न किये जाने के फलस्वरूप अनुपयोगी हो गया हो,

(7) कम मूल्य का हो और उसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले सौदे को, उन्हीं पक्षकारों के बीच, दूसरे विलेख द्वारा सम्पन्न कर दिया गया हो जिस पर कम मूल्य का स्टाम्प न लगा हो,

(8) असावधानी या बिना दुर्भावना के बिगड़ गया हो और उसके स्थान पर उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी प्रयोजन से दूसरा विलेख निष्पादित और यथाविधि स्टाम्पित बना दिया गया हो :

परन्तु निष्पादित विलेख के मामले में उस पर कोई ऐसी विधिक कार्रवाई प्रारम्भ न की गई हो जिसमें विलेख साक्ष्य में दिया या प्रस्तुत किया जाना हो, या जा सकता हो और विलेख निरस्ती के लिये दे दिया हो।

स्पष्टीकरण – धारा 32 के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रमाणक, कि विलेख पर जो शुल्क प्रभार्य था पूर्णतया अदा किया गया है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत विमुद्रित स्टाम्प माना जायेगा।

50. धारा 49 के अधीन अनुतोष के लिये आवेदन कब किया जाये

धारा 49 के अधीन अनुतोष के लिये आवेदन निम्ननिखित अवधियों के अन्दर किया जायेगा, अर्थात्

(1) खण्ड (घ) (5) में उल्लिखित मामलों में – विलेख की तारीख के दो माह के अन्दर;

(2) उस स्टाम्पित कागज के मामले में जिस पर पक्षकारों में से किसी ने भी विलेख को निष्पादित न किया हो – स्टाम्प के बिगड़ने के बाद 6 माह के अन्दर;

(3) ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में जिस पर किसी पक्षकार द्वारा विलेख का निष्पादन किया गया हो – विलेख की तारीख के बाद 6 माह के अन्दर या यदि उस पर तारीख अंकित न हो, तो उस व्यक्ति जिसने उसका प्रथम या अकेले निष्पादन किया हो; द्वारा निष्पादित किये जाने के बाद 6 माह के अन्दर,

परन्तु –

(क) जब बिगड़ा विलेख पर्याप्त कारणों से भारत के बाहर भेजा गया हो, तो भारत में उसके वापस प्राप्त होने के बाद 6 माह के अन्दर आवेदन किया जा सकता है;

(ख) जब, अपरिहार्य परिस्थितियों में वह विलेख, जिसके बदले अन्य विलेख प्रतिस्थापित किया गया हो, तो प्रतिस्थापित विलेख के निष्पादन की तारीख के बाद 6 माह के अन्दर आवेदन किया जा सकता है।

51. छपे प्रारूपों के मामले में, जिनकी निगमों को आवश्यकता न हो, छूट

मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण, या यदि मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण द्वारा इसके लिये अधिकृत किया गया हो, तो कलेक्टर, समय की किसी सीमा के बिना, किसी बैंकर, या किसी निगमित कम्पनी, या निगमित संस्था द्वारा विलेखों के छपे प्रारूपों के लिये प्रयोग किये जाने वाले स्टाम्पों के लिये छूट दे सकता है, यदि पर्याप्त कारणों से उन बैंकरों, कम्पनियों या निगमित संस्थाओं को उन प्रारूपों की आवश्यक्ता समाप्त हो गई हो – बशर्ते कि वह अधिकरण सन्तुष्ट हो जावे कि उस स्टाम्पित कागज के लिये शुल्क यथाविधि अदा किया गया है।

52. दुरुपयोग हुये स्टाम्पों की छूट

(क) यदि किसी व्यक्ति ने शुल्क से प्रभार्य किसी विलेख के लिये असावधानी से इस अधिनियम के अधीन, बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित प्रकार से अन्य प्रकार का स्टाम्प प्रयोग किया हो, या आवश्यकता से अधिक मूल्य का स्टाम्प लगाया हो, या किसी ऐसे विलेख पर, जिस पर शुल्क प्रभार्य नहीं हो, असावधानी से स्टाम्प का प्रयोग किया हो, या

(ख) जब धारा 13 के प्रावधान के उल्लंघन में लिखे जाने के कारण किसी विलेख के लिये प्रयोग किया गया स्टाम्प धारा 15 के अधीन असावधानी से निरर्थक हो गया हो;

तो विलेख की तारीख के बाद 6 माह के अन्दर, या यदि उस पर तारीख अंकित न हो तो उस व्यक्ति के, जिसने सर्वप्रथम या अकेले उसका निष्पादन किया हो, निष्पादन की तारीख के बाद 6 माह के अन्दर आवेदन किये जाने पर, और यदि उस पर शुल्क प्रभार्य हो तो उचित शुल्क से पुनर्स्टाम्पित कर दिये जाने पर, कलेक्टर इस प्रकार दुरुपयोग किये या निरर्थक हुये स्टाम्पों को बिगड़े स्टाम्पों के समान निरस्त कर उनके लिये छूट दे सकता है।

53. बिगड़े या दरुपयोग हुये स्टाम्पों के लिये, छूट कैसे दी जाये

जब किसी मामले में बिगड़े या दुरुपयोग हुये स्टाम्पों के लिये छूट दी जानी हो, तो कलेक्टर उनके बदले –

(क) उसी प्रकार और मूल्य के अन्य स्टाम्प, या

(ख) यदि माँगा जाय और वह उचित समझे तो उसी मूल्य की राशि के अन्य प्रकार के स्टाम्प, या

(ग) अपने विवेकानुसार, उसी मूल्य के बराबर धन, प्रत्येक रुपये या रुपये के भाग पर दस पैसा काटकर, दे देवें।

54. ऐसे स्टाम्पों के लिए छूट- जिनके उपयोग की आवश्यकता न हो

यदि किसी व्यक्ति के, पास एक या अधिक स्टाम्प हों या जो बिगड़े न हों या वांछित प्रयोजन के लिये बेकार या अनुपयोगी न हुये हों, परन्तु जिनके लिये उसके पास तुरन्त कोई उपयोग न हो, तो कलेक्टर उस व्यक्ति को उस स्टाम्प या उन स्टाम्पों का मूल्य, प्रत्येक रुपये या रुपये के भाग के लिये दस पैसा काटकर, नकदी के रूप में वापस देगा, यदि वह व्यक्ति उसको निरस्त करने के लिये प्रस्तुत करे और कलेक्टर के सन्तोष के लिये सिद्ध करे कि –

(क) वह स्टाम्प, या वे स्टाम्प उस व्यक्ति द्वारा उचित उपयोग के लिये सदाशयपूर्ण अभिप्राय से खरीदे गये थे, और

(ख) उसने उनकी पूरी कीमत चुकाई थी, और

(ग) वे प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्वगामी छह माह की अवधि के अन्दर खरीदे गये थे।

परन्तु यदि वह व्यक्ति लाइसेन्सदार स्टाम्प विक्रेता हो तो, यदि कलेक्टर उचित समझे, तो उक्त कटौती के बिना उतना रुपया वापस करे जितना विक्रेता ने वस्तुत: अदा किया हो।

54-का. 'आना' वर्ग के स्टाम्पों के लिये छूट

धारा 54 में कुछ भी होने के बावजूद, जब किसी व्यक्ति के पास चार आना या उसके किसी गुणक वर्ग से अन्यथा एक या अधिक स्टाम्प हो और वह स्टाम्प बिगड़ा, या वे स्टाम्प बिगड़े, न हों तो इन्डियन स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1958 की प्रवृत्ति के छह माह के अन्दर उस व्यक्ति द्वारा ऐसा स्टाम्प; या ऐसे स्टाम्प, कलेक्टर के पास जमा कर दिये जाने पर, कलेक्टर इन्डियन फाइनेन्स अधिनियम, 1906 की धारा 14 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार उनका मूल्य आगणन करके नकदी के रूप में वापस करेगा।

54-खा. 'रिफ्यूजी रिलीफ' स्टाम्पों के लिए छूट

धारा 54 में कुछ भी होने के बावजूद, जब किसी व्यक्ति के पास ऐसे स्टाम्प हों, जिन पर 'रिफ्यूजी रिलीफ' लिखित हो [जो स्टाम्प उसके दारा 3 विलोपन के पहले के धारा 3-का के अधीन जारी किये गये थे] और वे स्टाम्प बिगड़े न हों, तो रिफ्यूजी रिलीफ टेक्सेज (एवौलिशन) अधिनियम, 1973 की प्रवृत्ति के छह माह के अन्दर, उस व्यक्ति द्वारा उन स्टाम्पों को कलेक्टर के पास जमा किये जाने पर, कलेक्टर उन स्टाम्पों का मूल्य नकदी के रूप में उसको वापस करेगा या उनके बदले उसी मूल्य के अन्य स्टाम्प देगा।

परन्तु वापसी के ऐसे दावों के त्वरित निस्तारण के सरलीकरण के उद्देश्य से, राज्य सरकार अन्य कोई प्रक्रिया भी, जिस तरह से चाहे, निर्दिष्ट करे, जो इस प्रकार के वापसी लेने के लिये प्रयोग की जा सके।

55. कुछ डिबेंचरों के नवीकरण पर छूट

जब यथाविधि स्टाम्पित डिवेंचर का नये डिबेंचर जारी करके उन्हीं शर्तों पर नवीकरण किया जाये तो एक महीने के अन्दर आवेदन किये जाने पर कलेक्टर उस डिबेंचर को जारी करने वाले व्यक्ति को, मूल या नये डिबेंचर पर लगे स्टाम्प, जो कम हो, का मूल्य वापस करेगा।

बशर्ते कि मूल डिबेंचर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि से निरस्त किया जाये।

स्पष्टीकरण – इस धारा के अर्थ में निम्नलिखित बदलावों के बावजूद डिबेंचर उन्हीं शर्तों पर नवीकृत माना जायेगा: –

(क) मूल एक डिबेंचर के स्थान पर दो या अधिक डिबेंचर जारी किया जाना, यदि उनके द्वारा संरक्षित धनराशि वही हो;

(ख) दो या अधिक मूल डिबेंचरों के स्थान पर डिबेंचर जारी किया जाना, यदि उनके द्वारा संरक्षित धनराशि वही हो;

(ग) नवीकरण के समय मूल धारक के नाम के स्थान पर अन्य धारक का नाम प्रतिस्थापित किया जाये; और

(घ) ब्याज की दर या उसकी अदायगी की तारीख में परिवर्तन किया जाना।

अध्याय 6

संदर्भ एवं पुनरीक्षण

56. मुख्य नियंत्रक, राजस्व अधिकरण का नियंत्रण और मामलों का उसको संदर्भण

(क) अध्याय चार और अध्याय पांच, और धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोग किये जा सकने वाले अधिकार, सब दशाओं में मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकरण के नियन्त्रणाधीन होंगे।

(1-का) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, अध्याय-चार, अध्याय-पाँच के अधीन या धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य

नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा :

परन्तु स्टाम्प शुल्क की किसी विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक ऐसी विवादग्रस्त रकम के एक तिहाई से अन्यून भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे :

परन्तु यह और कि जहाँ मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी किसी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाये, वहाँ ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए सम्बन्धित कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न प्रस्तुत कर दे।"

(2) यदि धारा 31, धारा 40 या धारा 41 के अधीन कार्रवाई करते हुये कलेक्टर को उस शुल्क की राशि के विषय में संदेह हो, जो किसी विलेख पर प्रभार्य है, तो वह मामले का विवरण तैयार कर, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हुये, उसे निर्णय के लिये मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकरण को संदर्भित कर सकता है।

(3) उक्त अधिकरण मामले पर विचार करेगा और अपने निर्णय की एक नकल कलेक्टर के पास भेजेगा और तब कलेक्टर उस निर्णय के अनुरूप शुल्क (यदि हो) निर्धारित कर प्रभारित करेगा।

57. मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय को मामला भेजा जाना

(1) धारा 56 की उप-धारा (2) के अधीन संदर्भित या अन्यथा उसके ध्यान में आये किसी मामले को मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकरण –

(क) यदि वह किसी राज्य में उत्पन्न हो तो – उस राज्य के उच्च न्यायालय को;

(ख) यदि वह दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्रों में उत्पन्न हो तो – दिल्ली उच्च न्यायालय को;

(ग) यदि वह अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम के केन्द्र शासित क्षेत्र में उत्पन्न हो तो – गौहाटी उच्च न्यायालय को (जो असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय है);

(घ) यदि वह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित क्षेत्रों में उत्पन्न हो तो – कलकत्ता उच्च न्यायालय को;

(ङ.) यदि वह लक्षदीप, के केन्द्र शासित क्षेत्र में उत्पन्न हो तो – केरल उच्च न्यायालय को;

(ड.ड.) यदि वह चण्डीगढ़ के केन्द्र शासित क्षेत्र में उत्पन्न हो तो – पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को;

(च) यदि वह दादरा और नगर हवेली के केन्द्र शासित क्षेत्र में उत्पन्न हो तो – बम्बई उच्च न्यायालय को अपनी राय सहित भेजकर संदर्भित कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक मामला जिस उच्च न्यायालय के जिसको वह संदर्भित किया गया है तीन से कम न्यायमूर्तियों द्वारा निर्णीत नहीं होगा और मतान्तर होने की दशा में बहुमत मान्य होगा।

58. भेजे गये मामलों में अतिरिक्त विवरण माँगने का उच्च न्यायालय का अधिकार

यदि उच्च न्यायालय सन्तुष्ट न हो कि उस मामले में उठाये गये प्रश्नों का निश्चय करने के लिये, उसमें दिया गया विवरण पर्याप्त है, तो न्यायालय मामले को उस राजस्व अधिकरण को, जिसने मामला भेजा था, वापस संदर्भित कर सकता है कि वह न्यायालय के इस विषयक आदेश के अनुसार विवरण में परिवर्धन करे या उसमें परिवर्तन करे।

59. भेजे गये मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया

(1) सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय मामले में उठाये गये प्रश्नों का निर्णय करेगा और उन पर अपना फैसला देगा जिसमें व सब कारण दिये जायेंगे जिन पर निर्णय आधारित हो।

(2) उच्च न्यायालय, न्यायालय की मोहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से फैसले की नकल उस राजस्व अधिकरण को, जिसने मामला भेजा था, भेजेगा और उस नक़ल के प्राप्त होने पर राजस्व अधिकरण उस फैसले के अनुरूप मामले का निस्तारण करेगा।

60. अन्य न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालय को मामले भेजना

(1) यदि धारा 57 में उल्लिखित से अन्य किसी न्यायालय को धारा 35 के परन्तुक (क) के अधीन किसी विलेख पर देय शुल्क के बारे में संदेह हो, तो न्यायाधीश मामले का विवरण तैयार कर, अपनी राय सहित उसे उस उच्च न्यायालय को निर्णयार्थ संदर्भित कर सकता है जिसको, यदि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण होता, तो धारा 57 के अधीन किसी मामले को संदर्भित करता।

(2) वह न्यायालय उस मामले में उसी तरह कार्रवाई करेगा जैसे कि वह उसको धारा 57 के अधीन संदर्भित किया गया हो, और अपने फैसले की एक नकल न्यायालय की मोहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण को भेजेगा और वैसी ही दूसरी नकल संदर्भ करने वाले न्यायाधीश को भेजेगा, जो उस नकल के प्राप्त होने पर निर्णय के अनुरूप मामले को निस्तारित करेगा।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन संदर्भण जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया जाये तो संदर्भण जिला न्यायालय के माध्यम से किया जायेगा और जब किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाये तो अपने अगले श्रेष्ठतर न्यायालय के माध्यम से किया जायेगा।

61. स्टाम्प की पर्याप्तता के विषय में न्यायालयों के कुछ निर्णयों का पुनरीक्षण

(1) जब कोई न्यायालय अपने दीवानी या राजस्व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुये या फौजदारी न्यायालय कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 की धारा 125 से 128 तक और धारा 145 से 148 के अधीन किसी मामले में किसी विलेख को यथाविधि स्टाम्पित मानकर, या उस पर स्टाम्प अप्रभार्य मानकर, या धारा 35 के अधीन शुल्क और दण्ड की अदायगी, पर साक्ष्य में ग्रहण करने का आदेश करे तो वह न्यायालय जिसमें उस प्रथम वर्णित न्यायालय से अपीलें प्रस्तुत होती हैं या संदर्भ किये जाते हों, स्वयं अपनी इच्छा से, या कलेक्टर के आवेदन पर उस आदेश पर विचार कर सकता है।

(2) यदि इस प्रकार विचार करने के बाद, उस न्यायालय की राय हो कि विलेख धारा 35 के अधीन शुल्क और दन्ड की अदायगी के बिना, या जो शुल्क और दन्ड अदा किया गया है उससे अधिक शुल्क और दन्ड अदा किये बिना, साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये था तो वह इस आशय की घोषणा अंकित कर दे और शुल्क और दन्ड की राशि जो उस विलेख पर प्रभार्य है, निश्चित कर दे, और उस व्यक्ति को जिसके पास या जिसके अधिकार में उस समय विलेख हो, उसे प्रस्तुत करने का आदेश दे और जब वह प्रस्तुत किया जाये तो उसे जब्त करे।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अंकित की गई हो तो उसे अंकित करने वाला न्यायालय उसकी एक नकल कलेक्टर के पास भेजेगा और यदि उससे सम्बन्धित विलेख जब्त किया गया हो या अन्यथा न्यायालय के कब्जे में हो तो उस विलेख को भी भेजेगा।

(4) विलेख को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश, या धारा 42 के अधीन दिये गये प्रमाणक, या धारा 43 में कुछ भी होने के बावजूद कलेक्टर तत्पश्चात् उस व्यक्ति पर स्टाम्प विधि के अधीन उस अपराध के लिये अभियोग चला सकता है, जो उस विलेख के सम्बन्ध में, उसके द्वारा किया जाना समझता हो।

परन्तु –

(क) यदि वह राशि (शुल्क और दन्ड सहित) जो न्यायालय के निश्चय के अनुसार धारा 35 के अधीन विलेख के लिये देय थी, कलेक्टर को अदा कर दी जाये तो उपरोक्तानुसार अभियोग नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि कलेक्टर यह न समझे कि उचित शुल्क की अदायगी को टालने के अभिप्राय से अपराध किया गया है।

(ख) अभियोग चलाने के प्रयोजन के सिवाय, उस धारा के अधीन अंकित घोषणा, विलेख को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश या धारा 42 के अधीन दिये गये प्रमाणक की मान्यता को प्रभावित नहीं करेगी।

अध्याय 7

दाण्डिक अपराध एवं प्रक्रिया

62. यथाविधि स्टाम्पित न हुये विलेख के निष्पादन आदि के लिये दण्ड

(1) कोई व्यक्ति –

(क) जो इन्दुलतलब से अन्यथा देय बिल आफ एक्सचेंज, या प्रोमेसरी नोट के यथाविधि स्टाम्पित न होने पर, उसका आहरण करे, बनाये, जारी करे, पृष्ठांकित करे या अन्तरित करे या साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करे, या सकारे, या अदायगी के लिये प्रस्तुत करे, स्वीकार करे, अदायगी करे या भुगतान प्राप्त करे या अन्य किसी प्रकार संक्रमित करे; या

(ख) जो किसी अन्य विलेख को, जिस पर शुल्क प्रभार्य है उसके यथाविधि स्टाम्पित न होने पर साक्षी के रूप से अन्यथा निष्पादित या हस्ताक्षरित करे;

(ग) प्रोक्सी, जो यथाविधि स्टाम्पित न हो, के अधीन वोट दे या देने का प्रयत्न करे;

"प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो छह माह तक की अवधि की हो सकेगी और जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।"

परन्तु जब धारा 35 या 40 या धारा 61 के अधीन किसी विलेख के लिये दण्ड अदा कर दिया गया हो तो उस दन्ड की राशि को उसी विलेख के लिये इस धारा के अधीन उस व्यक्ति पर, जिसने उस दन्ड की अदायगी की हो, बाद में आरोपित जुर्माने (यदि हों) में से कम कर दिया जायेगा।

(2) यदि बिना यथाविधि स्टाम्पित किये कोई शेयर वारन्ट जारी किया जाये तो जारी करने वाली कम्पनी और प्रत्येक वह व्यक्ति भी, जो उसके जारी होने के समय उस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक, सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी हो, जुर्माने से दन्डनीय होगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।

63. चिपकाऊ स्टाम्पों को निरस्त करने में चूक के लिये दण्ड

कोई व्यक्ति जिससे धारा 12 द्वारा चिपकाऊ स्टाम्पों का निरस्त किया जाना अपेक्षित था और जिसने उस धारा में निर्धारित विधि से उस स्टाम्प को निरस्त करने में चूक की हो, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक सौ रुपया तक हो सकता है।

64. धारा 27 के प्रावधानों के अनुपालन में चूक के लिये दण्ड

जो व्यक्ति, सरकार को धोखा देने के अभिप्राय से –

(क) किसी ऐसे विलेख का निष्पादन करे, जिसमें वे सब तथ्य और परिस्थितियाँ जिनका धारा 27 द्वारा उस विलेख में व्यक्त किया जाना अपेक्षित है, सम्पूर्णतया और सत्यतापूर्वक व्यक्त नहीं किये गये हों; या

(ख) किसी विलेख में, जिसकी तैयारी के लिये वह नियुक्त किया गया हो, या उससे सम्बद्ध हो, उन तथ्यों और परिस्थितियों को सम्पूर्णतया और सत्यतापूर्वक उसमें व्यक्त करने में उपेक्षा करे या व्यक्त न करे; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन शुल्क या दण्ड से सरकार को वंचित करने के प्रयत्न में कोई और कार्य करे;

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

64-का. विलोपित।

64-खा. कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली

– (1) जब कोई व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन शुल्क अदा करने का दायित्व हो, किसी ऐसे विलेख के सम्बन्ध में (जो संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 91 में उल्लिखित न हो) धारा 62 या धारा 64 के अधीन किसी अपराध के लिये दन्डित किया जाये तो मजिस्ट्रेट उस दन्ड के अतिरिक्त, जो उस अपराध के लिये आरोपित किया जाये, उस व्यक्ति से, शुल्क और दन्ड (यदि हो) की राशि, जो इस अधिनियम के अधीन उस विलेख के लिये देय है, वसूली का निदेश भी देगा और वह राशि भी उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी जैसे कि वह मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

(2) उक्त वसूली के हो जाने पर कलेक्टर पृष्ठांकन विलेख पर द्वारा प्रमाणित करेगा कि उसके लिये शुल्क और दन्ड जैसी भी स्थिति हो, वसूल किया गया है।

65. रसीद देने से इन्कार करने और रसीद पर शुल्क टालने की युक्तियों के लिये दण्ड

कोई व्यक्ति जो –

(क) धारा 30 के अधीन रसीद देने के लिये बाध्य हो, उसको देने से इन्कार करे या देने में उपेक्षा करे, या

(ख) सरकार को शुल्क का धोखा देने के अभिप्राय से बीस रुपये से अधिक धन की अदायगी या मूल्य की सम्पत्ति प्राप्त करने पर बीस रुपये से अनधिक राशि या मूल्य की रसीद दे, या अदा किये गये धन या दी गई सम्पत्ति को पृथक करे, या विभाजित करे;

जुर्माने से दन्डनीय होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है।

66. बीमा पालिसी न बनाने या ऐसी पालिसी, जो यथाविधि स्टाम्पित न हो, बनाने के लिये दण्ड

कोइ व्यक्ति जो –

(क) बीमे के इकरार के लिये नजराना या प्रतिफल प्राप्त करे, या जमा स्वीकार करे और उस नजराने या प्रतिफल के प्राप्त होने या जमा हो जाने के बाद एक माह के अन्दर उस बीमे के लिये यथाविधि स्टाम्पित पालिसी बनाकर निष्पादित न करे; या

(ख) ऐसी पालिसी बनाये, निष्पादित करे या दे, जो यथाविधि स्टाम्पित न हो, या किसी ऐसी पालिसी पर, या के सम्बन्ध में, धन अदा करे, या लेखे में जमा करे, या अदा करने या लेखे में जमा करने का इकरार करे;

जुर्माने से दन्डनीय होगा जो दो सौ रुपया तक हो सकता है।

67. जिन बिलों या समुद्री पालिसियों का सेटों में जारी होना अभिप्रेत है उनकी पूर्ण संख्या जारी न करने के लिये दण्ड

कोई व्यक्ति इन्दुलतलब से अन्यथा देय बिल आफ एक्सचेंज या समुद्री बीमा पालिसी, जिनका दो या अधिक सेटों में जारी या निष्पादित होना अभिप्रेत है, को आहरित' या निष्पादित करे और उसी समय यथाविधि स्टाम्पित कागज पर बिलों या पालिसियों की पूर्ण संख्या, जिनका भाग वे बिल या पालिसियाँ होना अभिप्रेत हो, आहरित या निष्पादित न करे तो वह जुर्माने से दण्डनीयि होगा जो एक हजार रुपया तक हो सकता है।

68. बिलों पर अग्रगामी तारीख डालने या राजस्व को धोखा देने की अन्य युक्तियों के लिये दण्ड

जो व्यक्ति –

(क) सरकार को शुल्क का धोखा देने के अभिप्राय से, ऐसा बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट आहरित करे, बनाये या जारी करे, जिस पर अंकित तारीख उस तारीख के बाद की हो जिस दिन वह नोट वास्तव में आहरित किया या बनाया गया हो, या

(ख) यह जानते हुये कि उस बिल या नोट पर इस प्रकार अग्रगामी तारीख डाली गई है, उस बिल या नोट को पृष्ठांकित करे, अन्तरित करे, सकारने या अदायगी के लिये प्रस्तुत करे, या स्वीकार करे, उसकी अदायगी करे, या ले; या अन्य किसी प्रकार से उसे संक्रमित करे; या

(ग) उसी अभिप्राय से ऐसा कोई काम, चाल या युक्ति का प्रयोग करे, या करने से सम्बद्ध हो, जिसका इस अधिनियम में, या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में स्पष्ट प्रावधान न हो,

जुर्माने से दन्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।

69. स्टाम्पों की बिक्री से सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन या अनाधिकृत बिक्री के लिये दण्ड

(क) कोई व्यक्ति जो स्टाम्पों की बिक्री के लिये नियुक्त किया गया हो, यदि धारा 74 के अधीन बनाये गये किसी नियम की अवज्ञा करे; और

(ख) कोई व्यक्ति जो इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो, कोई स्टाम्प (दस या पाँच पैसे के चिपकाऊ स्टाम्पों को छोड़कर) बेचे, या बिक्री के लिये प्रस्तुत करे; ऐसी अवधि के कारावास के दन्डनीय होगा जो छह माह तक हो सकती है, या जुर्माने से दन्डनीय होगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्डों से।

70. अभियोग दायर करना और उसका संचालन

(1) इस अधिनियम या एतद्द्वारा निरस्त किसी अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कलेक्टर या इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा सामान्यत:, या कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से अधिकृत, किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति के बिना अभियोजन दायर नहीं किया जायेगा।

(2) मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण, या कोई अधिकारी जो उसके द्वारा सामान्यत: या विशेष रूप से इस कार्य के लिये विशेष रुपये अधिकृत किया गया हो, ऐसे किसी अभियोजन को रोक सकता है या ऐसे अपराध का समझौता कर सकता है;

(3) किसी ऐसे समझौते की राशि उसी विधि से वसूल की जा सकेगी जो धारा 48 में विहित है।

71. मजिस्ट्रेटों का अधिकार क्षेत्र

प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसकी शक्तियाँ द्वितीय श्रेणी से कम न हो, के अलावा कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

72. विचारण का स्थान

किसी विलेख के सम्बन्ध में किये गये ऐसे प्रत्येक अपराध का विचारण उस जिले या प्रेसीडेन्सी नगर में किया जा सकता है जिसमें वह विलेख पाया गया हो और उसका विचारण किसी उस जिले या प्रेसीडेन्सी नगर में भी किया जा सकता है जहाँ तत्समय प्रभावी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन ऐसे अपराध का विचारण हो सकता हो।

अध्याय 8

अनुपूरक प्रावधान

73. बहिएँ आदि निरीक्षण के लिये उपलब्ध हों

प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी जिसके संरक्षण में कोई रजिस्टर, बहिएँ, अभिलेख, कागजात, लेखपत्र या पत्रावलियाँ हों जिनके निरीक्षण से कोई शुल्क प्राप्त हो सकता हो, या शुल्क के सम्बन्ध में किसी धोखा-धड़ी या त्रुटि सिद्ध करने या खोज निकालने में सहायता मिल सकती हो, सब उचित समयों पर, ऐसे अधिकारी को, जिसका कर्तव्य यह देखना है कि उचित शुल्क अदा किया जा रहा है, या अन्य किसी अधिकारी को, जो कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में उस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया गया हो, बिना फीस या प्रभार के उन रजिस्टरों बहियों, कागजात, लेखपत्रों या पत्रावलियों का निरीक्षण करने और ऐसी टिप्पणी या उद्धरण प्राप्त करने देगा, जो वह आवश्यक समझे।

73-का. किसी अधिकारी को किसी स्थान में प्रवेश करने और कुछ प्रकार के लेखपत्रों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करने की कलेक्टर की शक्ति

– (1) जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत बिल्कुल प्रभारित नहीं किया गया है या इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क से गलत रूप से प्रभारित किया गया है, वहाँ वह, या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी परिसर में, जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे लिखत से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागजादि, मानचित्र, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हैं, प्रवेश कर सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे टिप्पण, प्रतियाँ और उद्धरण, जेसे ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे, ले सकता है।"

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके अधीन ऐसे रजिस्टर, बहियें, अभिलेख, कागजात, मानचित्र लेखपत्र या पत्रावलियाँ हों या जो उनका रखरखाव करता हो, सब उचित समयों पर, ऐसे अधिकारी को उनका निरीक्षण करने और ऐसी टिप्पणियाँ प्रतियाँ और उद्धरण, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्राप्त करने देगा।

74. स्टाम्पों की बिक्री के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति

राज्य सरकार निम्नलिखित का विनियमन करने के लिये नियम बना सकती है : –

(क) स्टाम्प और स्टाम्पित कागज की आपूर्ति और बिक्री;

(ख) वे व्यक्ति, केवल जिनके द्वारा ही बिक्री का संचालन होगा; और

(ग) उन व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनसे प्रभार्य फीस : –

परन्तु ये नियम दस पैसे या पाँच पैसे के चिपकाऊ स्टाम्पों की बिक्री को प्रतिबन्धित नहीं करेंगे।

75. इस अधिनियम के सामान्य कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने की शक्ति

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के सामान्य कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है और ऐसे नियमों में वह जुर्माने की वह राशि निर्धारित कर सकती हो, जो उनके उल्लंघन पर उपगत हो, परन्तु जो किसी भी दशा में पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगी।

76. नियमों का प्रकाशन

(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

(2) इस धारा में निर्धारित विधि से नियमों का प्रकाशन होने पर, वे वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित किये गये हों।

76-का. कुछ अधिकारों का प्रतिनिधायन

राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा – (क) धारा 2 (9) 33 (3) (ख), 70 (1), 74 और 78 द्वारा प्रदत्त सब या किसी शक्ति को मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकरण को, और

(ख) धारा 45 (1) (2) 56 (1) और 70 (2) द्वारा मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकरण को प्रदत्त सब या किसी अधिकार को, उस अधीनस्थ राजस्व अधिकरण को जो उस अधिसूचना में उल्लिखित हो,

प्रतिनिहित कर सकती है।

77. कोर्टफीस के लिये छूट

धारा 6-क में नकलों से सम्बन्धित प्राविधानों को छोड़कर, इस अधिनियम में शामिल कोई बात तत्समय प्रचलित कोर्ट फीस से सम्बन्धित किसी अधिनियम के अधीन प्रभारणीय शुल्क को प्रभावित नहीं करेगी।

77-का. कुछ स्टाम्पों के लिये व्यावृत्तियाँ

चार आने या उसके किसी गुणक के मूल्य वर्ग के स्टाम्प पचीस पैसे, या जैसी स्थिति उसके गुणक के मूल्य वर्ग के माने जायेंगे और तद्नुसार इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के लिये वैध होंगे।

78. [1998 के अधिनियम 22 द्वारा हटा दी गई।]

79. [1914 के अधिनियम दस से विलोपित।]